:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या–329/आ0प्र0प्राधि0 (covid-19) 2020 दिनांक 03.04.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपद में आये व्यक्तियों का होम क्वारंन्टाइन में निगरानी एवं तत्सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु परगना बड़कोट में क्रम संख्या–1 पर अंकित श्री अमित चौहान, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौगांव की तैनाती कोविड मजिस्ट्रेट हेतु की गयी है। श्री चौहान की तैनाती कोरोना सम्बन्धी प्रशिक्षण टीम में होने के कारण उनके स्थान पर श्री अरूण कुमार, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट (मो0–9719003723) की तैनात परगना बडकोट में कोविड मजिस्ट्रेट के रूप में की जाती है।

उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर ग्रामवार होम क्वॉरन्टाईन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जॉच करते हुये आंख्या दैनिक रूप से उप जिलाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या-340/आ0प्र0प्रा0(covid-19/20) दिनांक-4 अप्रैल 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को क्षेत्र आवंटित करेंगे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव/पुरोला ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालयः जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तरकाशी।

पत्रांक / 338 / आ.प्र.प्रा.(कोविड–19) 2020 दिनांक 03.04.2020।

सेवा में,

समस्त ग्राम प्रधान,
विकासखण्ड मोरी / पुरोला / नौगांव / चिन्यालीसौड़ / डुण्डा / भटवाड़ी।

विषय– ग्राम पंचायतों में निवास कर रहें ग्रामीण लाभार्थियों को भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु तिथियों का निर्धारण एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अप्रैल 2020 की तिथि से विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण लाभार्थियों को वर्तमान आपदा के दृष्टिगत कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन अवधि में अनुमन्य धनराशि बैकों से समय प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक नगद लेनदेन के द्वारा प्राप्त होगी। दिनांक 03 अप्रैल 2020 से दिनांक 09 अप्रैल 2020 तक हित धारकों को उनके खाते की संख्या के अन्तिम अंक कमशः 0 या 01 दिनांक 03 अप्रैल 2020, 2 या 3 अंक वाले खाते धारकों दिनांक 04 अप्रैल 2020 को, अन्तिम अंक कमांक 4 या 5 को दिनांक 07 अप्रैल 2020 को खाते के अन्तिम अंक 6 या 7 हेतु दिनांक 08 अप्रैल 2020 को तथा अन्तिम अंक 8 या 9 के खाता धारकों को दिनांक 09 अप्रैल 2020 हेतु पत्र संख्या 322 दिनांक 02 अप्रैल 2020 के द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये है। इस पत्र में दिये गये सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बैकों में सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन व वायरस के संक्रमण से रोकथाम के दृष्टिगत किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु न्याय पंचायत / ग्राम पंचायत वार रोस्टर भी निर्गत किया गया है।

अतः आप सभी से अपेक्षा होगी कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संकमण की रोकथाम हेतु के दृष्टिगत बैकों में उपरोक्त निर्धारित तिथियों में लाभार्थियों को बैंक में भेजने हेतु स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान भी हो सके तथा ग्राम पंचायत के निवासी संकमित होने से सुरक्षित रह सके।

संलग्नकः– ग्रामों की रोस्टर सूची तथा बैंक में खातों की नियत दिनांक आदेश।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
/ जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
2– जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।
4– मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
5– अग्रणी बैंक प्रबन्धक उत्तरकाशी।
6–समस्त खण्ड विकास अधिकारी उत्तरकाशी।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
/ जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–336/तेरह–आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020 दिनांक–03 अप्रैल,2020

मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय– गर्भवती महिला के हेमोग्लोबिन जॉच के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन के कारण जनपद में गर्भवती महिलाओं को नियमित जॉच कराने तथा चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में समस्याऐं आना संज्ञान में आया है। जनपद में ऐसी गर्भवती महिलाऐं जिनके हेमोग्लोबिन की जॉच नही की गयी है अथवा जिनमे हेमोग्लोबिन का स्तर न्यून है वह उन्हे चिकित्सीय सुविधाऐं उनके निवास स्थानों पर जाकर किया जाना आवश्यक है। ऐसी महिलाऐं प्रसव के समय मातृ मृत्यु की दृष्टि से अत्यन्त सवेदनशील है मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु उक्त महिलाओं को उचित चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में आप सम्पूर्ण जनपद की गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण तथा उनके हेमोग्लोबिन की जॉच तथा न्यून हेमोग्लोबिन स्तर वाली महिलाओं के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सम्बन्धित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर टीमे गठित कर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरकाशी।
2– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तरकाशी।
3– समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्तरकाशी।
4– आशा समन्वयक, जनपद उत्तरकाशीं

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–337/तेरह–आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020 दिनांक–03 अप्रैल,2020

1– मुख्य कृषि अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

2– मुख्य उद्यान अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन के मध्य कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में फसल कटाई तथा बागवानी कार्य विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉक डाउन के मध्य कृषि क्षेत्र में फसल कटाई तथा आवश्यक कृषि निवेशो की विक्री एवं परिवहन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM–1(A) दिनांक 24.03.2020, प्रथम परिशिष्ट दिनांक 25.03.2020 तथा द्वितीय परिशिष्ट दिनांक 27.03.2020 के द्वारा गाईड लाईन निर्गत की गयी है जिसमें लॉक डाउन अवधि में कृषि कार्यो के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में कृषि फसलों की कटाई एवं बुवाई, बागवानी क्षेत्र में कार्यरत कास्तकारों तथा कृषि निवेशों की विक्री तथा परिवहन में कार्यरत कृषकों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जायेगा। 04 से अधिक कृषक कृषि निवेश केन्द्रो पर एकत्रित न हो तथा कृषि निवेश केन्द्र में कार्यरत कार्मिको द्वारा मास्क का प्रयोग किया जायेगा और कृषकों हेतु सेनेटाईजर तथा हाथ धोने हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

अतः आप जनपद में अपने अधीनस्थ क्षेत्रिय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों एवं कास्तकारों के मध्य सामाजिक दूरी तथा कोविड–19 के तहत जारी दिशा/निर्देशों तथा भारत सरकार एवं शासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। भारत सरकार एवं शासन से प्राप्त दिशा निर्देश एवं शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या 334 / तेरह–आ0प्र0 / कोरोना वायरस / 2020 दिनांक–03 अप्रैल, 2020

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय– समेकित बाल विकास सेवाऐं स्कीम अन्तर्गत टेक होम राशन वितरण विषयक।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समेकित बाल विकास सेवाऐं स्कीम अन्तर्गत टेक होम राशन का वितरण दिनांक 05 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य किया जाना है। टी0एच0आर0 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं को किया जायेगा।

वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की अत्यधिक सम्भावना है। कोरोना वायरस संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार द्वारा महामारी घोषित किया गया हैं। टी0एच0आर0 के वितरण में आपके विभागीय अंगनबाडी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा टी0एच0आर0 क्रय कर लाभार्थियों को घर–घर वितरण किया जाना है।

उक्त के क्रम में आप टी0एच0आर0 क्रय करने के सम्बन्ध में सुनिश्चित करें कि जिन दुकानों से आंगनबाडी कार्यकत्रीयों द्वारा राशन एवं सामग्री क्रय की जा रही है उन दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की सफाई की व्यवस्था कोविड–19 के गाईड लाईन के अनुसार की जा रही हो। दुकानदारों के स्वास्थ्य ठीक हो तथा उन्हे कोविड संक्रमण सम्बन्धी लक्षण न हो। आंगनबाडी कार्यकत्री टी0एच0आर0 बांटते समय सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों का सावधानी पूर्वक अनुपालन करेगें। गांव में किसी बच्चे, गर्भवती अथवा धात्री महिला का स्वास्थ्य खराब होना पाया जाता तो इसकी तत्काल सूचना जिला चिकित्सालय के वार रूम तथा आपदा कंन्ट्रोल रूम उत्तरकाशी को प्रदान करेगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना(COVID-19)को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये है, वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी,उत्तरकाशी ने अपने पत्र संख्याः NHM/IDSP/COVID-19/2019-20/975-1 दिनांक 24 मार्च,2020 के द्वारा आर0बी0एस0के0 की टीम हेतु विभागीय अनुबन्धित निम्नांकित वाहनों में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क0म0	वाहन स्वामी का नाम व पता	वहन संख्या
01.	दिगपाल सिंह	UK-10TA/0738
02.	शुरवीर सिंह ग्राम तराकोट चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	UK-07TA/7474
03.	प्यार सिंह ग्राम टिपरी, पट्टी विष्ट, चिन्यालीसौड़,उत्तरकाशी	UK-10TA/4511
04.	राजेश सिंह रावत, ग्राम दांगुडगॉव,उत्तरकाशी	UK-10TB/3482
05.	विरेन्द्र सिंह राणा, ग्राम गुन्दियाटगांव, पुरोला, उत्तरकाशी	UK-10TA/6565
06.	सुनील कुमार, खरसाड़ी मोरी, उत्तरकाशी।	UK-07TB/1936

अतः उपरोक्त वाहनों में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था करवाये जाने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदारों को अधिगृहित किया जाता है। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उक्त वाहनों में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था अपनी-अपनी तहसील अन्तर्गत सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी के अनुरोध पर करवाना सुनिश्चित करेगें तथा भरवाये गये ईधन की खपत की लांगबुक सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी से सत्यापित करवाकर मय बिलों के साथ भुगतान हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण, उत्तरकाशी को भुगतान हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभारी होगा।

दिनांक 03.04.2020

ह0/-डॉ0आशीष चौहान
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 333 /13-आपदा प्रबन्ध- नोबल कोरोना(COVID-19)(2019-20) दिनांक 03 ~~मार्च~~ अप्रैल,2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2- उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी/बड़कोट/पुरोला।
3- तहसीलदार,भटवाड़ी/चिन्यालीसौड़/बड़कोट/पुरोला/मोरी।
4- प्रभारी चिकित्साधिकारी,भटवाड़ी/चिन्यालीसौड़/नौगांव/पुरोला/मोरी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोकने हेतु वर्तमान मे 21 दिन का लॉक डाउन प्रभावी है, जिससे कोरोना सक्रमण चक्र को तोडा जा सके। इस सम्बन्ध मे अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–234 दिनांक–25,मार्च 2020 के द्वारा निर्देश दिये गये है, कि ग्राम पचायतो मे भी कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने हेतु निरतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससें ग्रामीण क्षेत्रों मे कोविड–19 महामारी के फैलने की सम्भावना न रहे। इसी सन्दर्भ में ग्राम प्रधान सगंठन द्वारा आग्रह किया है, कि ग्राम पंचायतों में भी फॉगिंग मशीन की आवश्यकता है, जिससे गांवो को भी सैनिटाईज किया जा सके। कीटाणु शोधन साम्रगी एंव फॉगिग मशीन को राज्य वित आयोग/चौदहवे वित आयोग से कय किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 316/01(वि.आ.निदे.)xxvii(1)/2019, दिनांक 12, अप्रैल 2019 में चतुर्थ राज्य वित आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासनादेश के प्रस्तर–2(ii) में स्वच्छता कार्यो पर धनराशि व्यय किये जाने का उल्लेख है, इसी प्रकार 14वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में भी समस्त ग्राम पंचायतों में ''सेप्टैज प्रबन्धन सहित स्वच्छता'' किये जाने के व्यवस्था है।

अतः जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संकमण एवं महामारी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के रोकथाम हेतु कीटाणु शोधन प्रोटाकॉल का पालन करते हुये प्रधान संगठन द्वारा ग्राम पंचायतों में सेनीटाईज किये जाने हेतु ब्लीचिग पाउडर, सोडियम हाईपोक्लोराईट एवं आवश्यकतानुसार मास्क तथा उच्च गुणवत्ता युक्त फोगिंग /स्प्रे मशीन के सम्बन्ध में अनुरोध की गई साम्रगी को नियमानुसार कय करने हेतु उक्त शासनादेशानुसार समस्त ग्राम प्रधानों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या–331/ आ0प्र0प्रा0 (कोविड–19) 2020 दिनांक 03 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–निम्नाकितं को सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2–जिला पचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
3–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटे है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखते हुये निगरानी की जा रही है। उक्त व्यक्तियों द्वारा होम क्वॉरन्टाइन के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराये जाने तथा ट्रेवल हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्न प्रकार परगनावार कोविड मजिस्ट्रेट नामित कर उप जिलाधिकारी के नियंत्रण में तैनात किये जाते है।

क्र0 सं0	जोन	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	सम्पर्क नम्बर
1	परगना पुरोला	श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।	8868040744
2		श्री सोनू त्यागी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला।	9557903163
3		श्री प्रश्न पाल, अपर सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला।	8475897943
4		श्री सन्दीप जायडा, कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला।	9548084663
1	परगना बडकोट	श्री अमित चौहान, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौगांव।	7895014434
2		श्री पी0एस0 रावत, एस0डी0ओ0 सिंचाई खण्ड, बड़कोट।	7579461662
3		श्री अंकित नौटियाल, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।	9756133577
4		श्री राम नरेश गुलेरिया, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट।	9760500466

उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार ग्रामवार होम क्वॉरन्टाईन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जॉच करते हुये आंख्या दैनिक रूप से उप जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या -329 /आ0प्र0प्रा0(COVID-19)20 दिनांक- 03 अप्रैल 20

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कोविड मजिस्ट्रेट को क्षेत्र आवंटित करेंगे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त टीम में मेडिकल कार्मिक की तैनाती करेंगे।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कोरोना/आवश्यक

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–328/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 03 अप्रैल, 2020

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
   अपर यमुना वन प्रभाग,
   बडकोट।
2. प्रभागीय वनाधिकारी,
   टोंस वन प्रभाग, पुरोला।
3. उप निदेशक,
   गोबिन्द पशु विहार पुरोला,
   उत्तरकाशी ।

विषयः– होम क्वॉरनटाइन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटे है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखते हुये निगरानी की जा रही है।

चूँकि जनपद उत्तरकाशी की बड़ी जनसंख्या वन क्षेत्र एवं उसके आस–पास निवासरत है। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्मिकों से विभागीय कार्य के साथ–साथ उनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायतों में बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों/मजदूरों का विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराते हुये भारत सरकार द्वारा जारी Home Quarantine के प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाने हेतु जागरूक करते हुये सूचना दैनिक रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप जिलाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर–01374– 222641 एवं 222126 पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त व्यक्तियों को यह भी सूचित करें कि उनके द्वारा 14 दिन तक Home Quarantine के उपरोक्त Home Quarantine दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

- आदेश -

शासन/प्रभारी सैटेलाइट कंट्रोल रूम कोविड-19, देहरादून के पत्र सं. यू0यू0एस0डी0ए0/COVID-19-SCRU/A-368/900 दिनांक 02-04-2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में गठित BRT/CRT द्वारा शासन स्तर में गठित BRT/CRT को संदिग्ध COVID-19 व्यक्तियों की जो सूची भेजी जा रही है उसमें कई व्यक्तियों की Contact Details अपूर्ण/त्रूटिपूर्ण होने के कारण शासन स्तर पर गठित BRT/CRT द्वारा ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची भी सभी जनपदीय नोडल अधिकारियों को प्रेषित की गई है।

पूर्व कार्यालय आदेश सं. 261/आ0प्र0प्रा0/2020 दिनांक 28-04-2020 के द्वारा जनपद स्तर पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु BRT/CRT गठित की गई है, जिसमें अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को समन्वयक नामित किया गया है। अतः उक्त पूर्व निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के स्थान पर श्री विजय प्रताप भण्डारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को समन्वयक नामित किया जाता है। अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को शासन/प्रभारी सैटेलाइट कंट्रोल रूम कोविड-19, देहरादून के उक्त पत्र सं. यू0यू0एस0डी0ए0/COVID-19-SCRU/A-368/900 दिनांक 02-04-2020 के क्रम में जिला स्तर पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु गठित BRT/CRT का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह तत्काल वाँछित सूचना आज ही प्रेषित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन की सूचनाएँ सांय 03:00 बजे तक शासन स्तर पर गठित BRT/CRT को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करवायेंगे।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या 327 /एस0पी0ए0/2020 दिनांक 03 अप्रैल ,2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2- श्री विजय प्रताप भण्डारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
3- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
परियोजना प्रबन्धक,
शहरी क्षेत्र विकास विकास संस्था,
सैटैलाईट कन्ट्रोल रूम, COVID-19 देहरादून।

पत्र संख्या– 261 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 28 मार्च, 2020

विषयः– <u>कोविड–19 कन्ट्रोल रूम तथा कन्टेक ट्रेसिंग के सम्बन्ध में</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–यू0यू0एस0डी0ए0/Satellite Control Room COVID-19 Dehradun/888 दिनांक 27.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर BRT/CRT टीमों का विकास खण्डवार गठन किया गया है। जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सादर संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नांकितों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु BRT/CRT गठित का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड / नगर निकाय का नाम	BRT/CRT का समन्वयक क सदस्यों के नाम व पदनाम वमो0 न0	BRT/CRT के अन्य सदस्यों के नाम व मो0 न0	आवंटित वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0न0
उत्तरकाशी	उत्तरकाशी (CRT)	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। (9412990299)	श्री पीस0चौहान, नायब तहसीलदार (9410312009) डॉ सुमित बरमन ,जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। (7060730645) श्री कमल कुमार उप निरीक्षक, कोतवाली, उत्तरकाशी (9410749085, 8006259675, 8057632012) श्री प्रवीन कुमार चौधरी, प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाइ (7895111707 ,9411112800)	UA/10GA-0052	श्री कृष्ण पाल गंगाडी (9627624744) श्री प्रीतम सिंह (7900863081)
	भटवाडी (BRT)	श्री प्रेम सिह रावत, तहसीलदार, भटवाडी (9410196239)	श्री ज्योती प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी (8006828140) श्री खुशीराम पाण्डेय, प्रभारी थानाध्यक्ष, मनेरी (9411112863) डॉ0 कुलवीर सिंह राणा, चिकित्साधिकारी, सामु0स्वास्थ्य केन्द्र, भटवाडी (9410107133) श्री राहुल कुमार ,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, भटवाडी (9997082428)	UA/10-0028	श्री अमरपाल बुटोला (9557419325)
	डुण्डा (BRT)	श्री विरेन्द्र सिंह रावत, तहसीलदार, डुण्डा (9411331611 / 9068300000)	श्रीमती दृष्टि आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा (मो0–9897970545) श्री महादेव प्रसाद उनियाल, थानाध्यक्ष, कोतवाली उत्तरकाशी (9411112862) डॉ0 सूरज भण्डारी, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र डुण्डा (9410583666) श्री अजीत चौहान ,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, डुण्डा (8126102307)	UA/10TA-4949	श्री सतपाल चौहान (8979700554)
	चिन्यालीसौड (BRT)	सुश्री श्रुति वस्त, खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड(8755451241)	श्री विनोद थपलियाल, थानाध्यक्ष धरासू (9411112864) डॉ0 जितेन्द्र भण्डारी, चिकित्साधिकारी समु0 स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड (9412312300) श्री सन्तोष विष्ट ,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, चिन्यालीसौड (9758584174)	UA/10-4416	श्री महेश रतूडी (8171308174)
	नौगांव (BRT)	श्री मोहन सिह राणा, तहसीलदार, बडकोट (9412379978 7895818915)	श्री दलबीर सिहं भण्डारी, खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव (7455930400) श्री दिनपाल सिह, थानाध्यक्ष बडकोट (9411112864) डॉ0 अंगद सिंह राणा, सामु0स्वा0 बडकोट चिकित्साधिकारी (9411142459) श्री जगत सिंह रावत,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, नौगांव (9997082428)	UA/10-0554	श्री रवी (7895692079)
	पुरोला (BRT)	श्री चन्दन सिंह राणा, तहसीलदार पुरोला (9411185808)	श्री तेग सिह रावत खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला (7579039229) श्री ऋतुराज सिहं रावत, प्रभारी थानाध्यक्ष (9411112866) डॉ0 पंकज कुमार, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला (7455074955) श्री का0 संदीप स्थानीय अभिसूचना इकाई, (7579009607)	UA/07GA-0672	श्री अमित पंवार, ()
	मोरी (BRT)	श्री बलवीर सिह, तहसीलदार, मोरी (7579110434)	श्री देवेन्द्र सिह डिगरी, खण्ड विकास अधिकारी मोरी (7579146499) श्री केदार सिह चौहान, थानाध्यक्ष, मोरी। (9412077402) डॉ0 एस0के0 जोशी, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, मोरी (9456740735) का0 संदीप कवी , स्थानीय अभिसूचना इकाई, मोरी	Uk/07-9146	श्री महेन्द्र सिह (8171718719)

ह0 /-

Scanned with CamScanner

कोरोना / आवश्यक

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–325 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020 दिनांक 03 अप्रैल, 2020

चिकित्साधिकारी,
सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
नौगांव / बडकोट / पुरोला / मोरी।

विषयः– **108 आपातकालीन एम्बुलेंस का कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु उपयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कोरोना वायरस के संक्रमित अथवा संदिग्ध व्यक्ति हेतु पृथक एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाना है जिसका उपयोग अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अथवा दुर्घटना में घायलों के उपयोग हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

अतः 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा विशेष एम्बुलेंस सेवा होने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि 108 आपातकालीन सेवा का उपयोग कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अथवा संदिग्ध मरीजों हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त का उपयोग अन्य मरीजों तथा आपातकालीन स्थितियों में किया जायेगा। कोरोना वायरस से संक्रमण के संदिग्ध / संक्रमित व्यक्तियों हेतु स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य संस्थाओं की पृथक एम्बुलेंस का ही प्रयोग किया जायेगा ।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2. जिला प्रभारी 108 एम्बुलेंस सेवा, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 326 /तेरह–आ0प्र0/2020 दिनांक–03 अप्रैल, 2020

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय– "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार एवं अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थियों हेतु प्रति कार्ड प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 चावल का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–7–1/2019 (II)–BP.III दिनांक 30.03.2020 तथा आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र संख्या–2179/आ0वि0श0/खाद्यान्न/2019–20 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अन्तोदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवारों हेतु नियमित आंवटन के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न माह अप्रैल 2020 से माह जून 2020 (तीन माह हेतु) तक निःशुल्क आवंटित किया जाना है। उक्त अतिरिक्त देय खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र प्राथमिक परिवारों एवं अन्तोदय कार्ड धारकों को ही देय है। खाद्यान्न उन्ही कार्ड धारकों को देय होगा जिनके राशन कार्ड का डिजीटिलीकरण किया जा चुका है।

जनपद उत्तरकाशी में 28.03.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत कुल 13611 राशन कार्ड तथा 54783 यूनिट है। इसी प्रकार प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड की संख्या 35508 तथा 154920 यूनिट है।

अतः उक्त के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि आप तत्काल जनपद के पात्र प्राथमिक परिवार एवं अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थियों हेतु प्रति कार्ड प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 चावल का वितरण करना करना सुनिश्चित करें। पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के समय सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान विक्रेता द्वारा कोविड–19 के तहत भारत सरकार गाईड लाईन के अनुरूप सोशल डिस्टेन्सिंग तथा स्वच्छता का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े रहने हेतु निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन किया जाये तथा दुकान पर सेनेटाईजर तथा हाथ धोने हेतु पानी अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अन्य जनपदों/राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच करते हुये उन्हे होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा दिशा निर्देशानुसार होम क्वारंटीन प्रोटोकॉल अनुपालन कराये जाने तथा ट्रेवल हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्न प्रकार कोविड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते है।

क्र0 सं0	जोन	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	प्रान्तीय रक्षक दल से तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0 न0
1	फोल्ड, संन्ताण गावं, बमण गांव, पिपली, थाती पुजार गांव	श्री तकदीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–7579016888	डॉ0 दिनेश भट्ट (होम्योपेथिक) मो0–9456118284 7456998732	श्री बचन सिंह 9997497945	UK10-4944	जयेन्द्र भट्ट मो0–9458134142
2	उपरिकोट, भराणगांव, कवां, खरवां, खुरकोट,	श्री विकास नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–8979455464	श्रीमती पूजा सेमवाल भराणगांव, (फार्मासिस्ट) मो0–7895919930	श्री जितेन्द्र सिंह मो0 9411733421	UK07-2630	दीपेन्द्र शाह मो0–9068719334
3	न्यू गांव, लोदाडा, उडरी, हुल्डियाण	श्री सन्दीप भट्ट अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, ज्ञानसू मो0 9760275099	श्री राजवीर सिंह बौन, (फार्मासिस्ट)। मो0 7895389464	श्री दुर्गेश प्रसाद भट्ट मो0 9639678772	UK10-0002	जितेन्द्र सिंह गुसांई मो0–9456335139
4	कल्याणी, रेसगी, पटारा, हरेती, ब्रहम्खाल, पनोथ	श्री आशीष भट्ट सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तरकाशी। मो0 9760041357	डॉ0 एम.एस. राणा मो0 9411143358 9690458052	श्री विजलपाल खत्री मो0 9411568121	UK10-0008	अनिल सिंह मो0–9627791782
5	सौड, जुनेथ, मेनोल, टिपरा, जुगियाडा	श्री गिरीश सिंह राणा, कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू मो0 9897431633	श्री राजेन्द्र (फार्मासिस्ट) मो0–9634567610	श्री नागेन्द्र चौहान मो0 96399926975	UK10-0615	जय प्रकाश मो0–7895815666
6	ठाण्डी, कमद, कुमार कोट, जालंग	श्री अरविन्द सिंह, अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो0 7895161286	श्री प्रदीप शाह खाण्ड, (फार्मासिस्ट) मो0 9410107853	श्री विनोद पंवार मो0 7351873772	UA10-0507	विपिन सिंह रावत मो0–8979831960
7	जुगुल्डी, पन्जियाल, बौन, सिंगोट, चिणाखोली	श्री राजेश नौटियाल, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो0 9412381199	श्रीमती आरती भण्डारी, साल्ड, (फार्मासिस्ट) मो0 8126329955	श्री विरेन्द्र रावत मो0 9760331634	UK07-0414	जितेन्द्र मो0–9690604215
8	रनाडी, पैनी भवान, हिटाणु, वीर पुर, डुण्डा, अस्तल, बेजकोट	श्री हिमांशु नौटियाल, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी। मो0 9411141866	रितेश नौटियाल (फार्मासिस्ट) मो0–8958306040	श्री राजेश भट्ट मो0 7055863321	UK10-0776	हरेन्द्र सिंह नेगी मो0–8126156681
9	डाण्डा मॉजफ, सिगुणी, डुन्नी, बगियाल गांव,	श्री हरीश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता पयेजल निगम, उत्तरकाशी। मो0 7500817383	श्री लोकेन्द्र भट्ट भंकोली (फार्मासिस्ट) मो0–8126294470	श्री कृपा लाल मो0–7579260588	UK10-0006	कमल सिंह असवाल मो0–8979064313

ब्लॉक डुण्डा की QRT Team द्वारा धौन्त्री, भेटियारा, भड़कोट एवं RBSK Team द्वारा बड़ेथी, मातली, रतूड़ी सेरा, गेंवला, कुन्सी व सैणी ग्रामों में उक्तानुसार कार्य किया जाना है।

उक्त टीम ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जॉच करते हुये आंख्या दैनिक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य दिनांक 04.04.2020 तक पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप पर Report, War Room में जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–324/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 03 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः–

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालननार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2020 से प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य धनराशि बैंकों/ग्राहक सेवा केन्द्रों/भारतीय डाक भुगतान बैंकों में उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में स्थिति बैंको को खुला रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर पारित पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न निर्देश जारी किये जाते है, जो दिनांक 03.04.2020 से प्रभावी होंगेः-

1. दिनांक 03.04.2020 से सभी बैंक प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक ग्राहकों से लेन देन हेतु खुले रहेंगे।
2. अपराह्न 1.00 बजे से 4.00 बजे तक बैंक अपने आन्तरिक मिलान एवं अन्य कार्य सम्पन्न कर सकेंगे।
3. सभी ए0टी0एम0 प्रातः 8.00 बजे अपराह्न 1.00 बजे तक खुले रहेंगे।
4. सभी बैंक मित्र भी उपरोक्त समय प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक नकदी का लेन-देन करेंगे। कुछ बैंक मित्र जो दुकानों में अवस्थित है, उनको मात्र बैंकिंग लेन- देन के लिये ही दुकान (प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे) के मध्य खोलने की अनुमति होगी।
5. इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक AEPS के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम है, जो आवश्यक सेवाओं में सम्मलित रहेंगे, इसलिए सभी बैंक उक्त अवधि में अपने पोस्टमेन/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान भी सम्पन्न करेंगे।
6. बैंक से जुड़े कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा (सक्षम स्तर से) जारी पहचान -पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर ही उन्हे चार-पहिया व दो पहिया वाहन में आवागमन की छूट होगी।
7. बैंक मित्र आवागमन के लिए अनुमति पत्र निर्गत करने हेतु उप जिलाधिकारियों का अधिकृत किया जाता है। उप जिलाधिकारी जिला लीड बैंक अधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार बैंक मित्रों के अनुमति पत्र जारी करेंगे। किन्तु यह अनुमति पत्र केवल उन्ही को जारी किया जायेगा जो वास्तविक रूप से बैंक से सम्बन्धित है।
8. दिनांक 03.04.2020 से 09.04.2020 तक प्रधानमंत्री जन धन खाते धारकों को उनके खाता संख्या के अन्तिम अंक के अनुसार भुगतान होगा।

खाता संख्या का अन्तिम अंक	लाभार्थी के खाते से धन निकासी हेतु निर्धारित तिथि
0 या 1	03.04.2020
2 या 3	04.04.2020
4 या 5	07.04.2020
6 या 7	08.04.2020
8 या 9	09.04.2020

क्रमशः 2

DEOC/negi-2020

Scanned with CamScanner

9. दिनांक 09.04.2020 के पश्चात खाता धारक किसी भी तिथि को बैंक से धन आहरित कर सकते है।
10. जहॉं कहीं ग्राहक/लाभार्थी का अंगूठा लगाया जाना अनिवार्य हो, ऐसे मामलो में अंगूठा लगाने से पहले व बाद में सम्बन्धित उपकरण को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा।
11. कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप बैंकों को सामाजिक दूरी (Social distancing) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस दौरान प्रवेश द्वार पर सैनिटायजेशन की व्यवस्था अपरिहार्य होगी।
12. सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा ए0टी0एम0 के बाहर आगन्तुकों/उपभोक्ताओं के खड़े रहने हेतु निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन करेंगे। साथ ही हाथ धोने हेतु सैनेटाईजर तथा पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे।
13. सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा ए0टी0एम0 कक्ष की प्रतिदिन समय–समय पर सोडियम हाइपोक्लोराईड से सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या– 322 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 02 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव महोदय, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अध्यक्ष डी0बी0टी0 सेल को अनुश्रवणार्थ प्रेषित।
5. उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने अधिकारिता अन्तर्गत उक्त का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला लीड़ बैंक अधिकारी से समन्वय कर उनकी मांग के अनुरूप बैंक शाखाओं को पी0आर0डी0 स्वयंसेवक उपलब्ध करायेंगे।
7. नोडल अधिकारी, एन0सी0सी0, उत्तरकाशी को कि जिला लीड़ बैंक अधिकारी से समन्वय कर उनकी मांग के अनुरूप बैंक शाखाओं को एन0सी0सी0 कैडेट उपलब्ध करायेंगे।
8. जिला लीड बैंक अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित के डी0ओ0पी0आर0डी0 एवं नोडल एन0सी0सी0 से समन्वय कर बैंक शाखाओं हेतु स्वयंसेवक/कैडेट की मांग प्रस्तुत करेंगे।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कोरोना/देखते ही अनुपालन

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) को विश्व महामारी एवं आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिय लॉक डाउन किया गया है। उक्त लॉक डाउन के कारण जनपद में वृद्ध एकल, विधवा, आदि पेंशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि आदि हेतु शासन द्वारा अग्रिम रूप से धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त योजनाओं के लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किये जाने व अनुश्रवण हेतु **जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तानान्तरण (DBT) समिति** की जाती है–

1. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।

उपरोक्त समिति विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभार्थियों की अद्यतन सूची के अनुसार **प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तानान्तरण (DBT)** सेल के साथ समन्वय स्थापित कर विकास खण्डवार प्रत्येक ग्रामवार रोस्टर तैयार कर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में संचालित **प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तानान्तरण (DBT)** सेल को दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

जनपद आपातकालीन परिचालन **केन्द्र, उत्तरकाशी में प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तानान्तरण (DBT) सेल का गठन करते हुये निम्न सदस्यों की तैनाती की जाती है–**

1. प्रबन्धक, लीड़ बैंक उत्तरकाशी।
2. प्रबन्धक, RSETI उत्तरकाशी।
3. प्रतिनिधि स्टेट बैंक, उत्तरकाशी।
4. प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी।
5. प्रतिनिधि उत्तराखण्ड गामीण बैंक, उत्तरकाशी।
6. प्रतिनिधि पंजाब नेशनल बैंक, उत्तरकाशी।
7. प्रबन्धक, मुख्य पोस्ट ऑफिस, उत्तरकाशी।

उपरोक्त सेल को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल कन्ट्रोल में उपस्थित रहकर उपरोक्त गठित समिति से समन्वय कर कोराना नियंत्रण सम्बन्धी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये शासन द्वारा वृद्ध एकल, विधवा, आदि पेंशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि आदि के वितरण हेतु प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार सम्बन्धित लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–321/आ0प्र0प्रा0 (covid-19)/2020 दिनांक 02 ~~मार्च~~ अप्रैल 2020

प्रतिलिपिः 1 उपरोक्त गठित समिति के सदस्यों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः 2. प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तानान्तरण (DBT) सेल के अन्तर्गत नामित उपरोक्त सदस्यों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–318/आ0प्र0प्रा0 (covid-19)/2020

दिनांक 02 ~~मार्च,~~ अप्रैल 2020

1. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद, बडाहाट/चिन्यालीसौड/बडकोट।

2. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत, नौगांव/पुरोला।

विषयः– <u>बेसहारा पशुओं के सम्बन्ध में।</u>

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्र्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये लॉक डाउन किया गया है। उक्त लॉक डाउन के कारण पशुओं के प्रभावित होने के दृष्टिगत आपको निर्देश दिये गये थे कि अपने क्षेत्रान्तर्गत बेसहारा/आवारा पशुओं के चारा आदि की पर्याप्त व्यवस्था करें। किन्तु मुख्यालय के कतिपय स्थानों पर आवारा पशुओं को चारें की व्यवस्था नहीं होने के कारण आक्रामक हो रहें है। जिस कारण यह जानवर आमजनमानस को क्षति पहुँचा सकते है।

अतः उक्त बेसहारा/आवारा जानवरों के चारें की पर्याप्त व्यवस्था कर नियमित चारा प्रदान करना सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त आक्रामक पशुओं की पकड़वा कर अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर रखना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (कोविड–19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण (Epidemic Disease) अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के पूर्ण नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत वाहन चालकों, दुकानदारों, सुरक्षा कर्मियों, स्वयं सेवकों, होटल कर्मियों एवं जी0एन0वी0एन0 स्टॉफ, आशा, ए0एन0एम0, एन0एस0एस0, आंगनवाड़ी कार्मिकों, फोरेस्ट गार्ड, पी0आर0डी0, स्वाच्छक, वार्ड बॉयज जनसामान्य की आवश्यकता होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से राहत कार्यो में लगे समस्त कार्मिकों को सुरक्षा को देखते हुये प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा।

उक्त कार्मिकों को उत्तरकाशी मुख्यालय में मास्टर ट्रेनर द्वारा विकासखण्ड पुरोला व नौगांव में बैच तैयार कर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रशिक्षण निम्न कार्यक्रमानुसार प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण 30–30 प्रशिक्षणार्थियों के बैच में एम0टी0 द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि 60 मिनट होगी। प्रशिक्षण प्रात: 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क0 सं0	प्रशिक्षार्थी	कार्य जिस निमित्त प्रशिक्षण अपेक्षित	प्रशिक्षण दिवस		प्रशिक्षण स्थल
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
1	एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0	बहुउद्देशीय बल / सोशल डिस्टेन्सिंग	03.04.20	10.04.20	1–जिलाधिकारी कार्यालय सभागार उत्तरकाशी (भटवाडी,डुण्डा चिन्यालीसौड, विकासखण्ड हेत) 2– विकासखण्ड मुख्यालय नौगांव विकासखण्ड नौगांव हेत) 3.विकासखण्ड मुख्यालय पुरोला विकासखण्ड मोरी एवं पुरोला हेत
2	टैक्सी एवं वाहन चालक	संक्रमित व्यक्तियों का संचलन / शासकीय कार्य	4.040.20	11.04.20	
3	आशा कार्यकत्री / आंगनबाडी / ए0एन0एम0	प्रचार–प्रसार एवं पैरा मैडिकल स्टॉफ / सोशल डिस्टेन्सिंग / क्वारेन्टाईन प्रॉटोकॉल	05.04.20	12.04.20	
4	फोरेस्टगार्ड / पी0आर0डी0 / सुरक्षाकर्मी	संक्रमित व्यक्तियों की पहचान एवं जन सुरक्षा / सोशल डिस्टेन्सिंग / क्वारेन्टाईन प्रॉटोकॉल	06.04.20	13.04.20	
5	दुकानदार / स्वयंसेवक / जनसामान्य	प्रचार हेतु जागरूकता / सोशल डिस्टेन्सिंग	07.04.20	14.04.20	
6	होटलकर्मी / जी0एन0वी0 एन0 स्टॉफ	क्वारेन्टाइन हेतु व्यवस्था / सोशल डिस्टेन्सिंग / क्वारेन्टाईन प्रॉटोकॉल	08.04.20	15.04.20	
7	स्वाच्छक / वार्ड बायज	आईसोलेशन / क्वारेन्टाई न प्रॉटोकॉल	09.04.20	16.04.20	

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 320 /   दिनांक– 02 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को 40–40 का बैच तैयार कर प्रशिक्षण कार्यकम में प्रतिभाग कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट/टौन्स वन प्रभाग पुरोला/भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी/टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय उत्तरकाशी।
4. उप निदेशक गोविन्द पशु विहार पुरोला/गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी
5. प्रबन्धक, गढवाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।
6. जिला कार्यकम अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तरकाशी।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. अध्यक्ष, होटल एसोसियेशन/ अध्यक्ष, व्यापार मण्डल/अध्यक्ष टैक्सी एसोसियेशन/अध्यक्ष, वाहन चालक एसोसियेशन उत्तरकाशी।
11. एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 अधिकारी उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

मा0 उच्चतम न्यायालय में कोविड–19 लॉक डाउन से विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को भोजन, आवास तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु रिट याचिका संख्या–468 / 2020 दायर की गयी है।

मा0 उच्चतम न्यायालय में उक्त रिट याचिका संख्या–468 / 2020 में दिनांक 31.03.2020 को सुनवायी के पश्चात लॉक डाउन से प्रभावितों हेतु चलाये जा रहे राहत कैम्प / शिविरों में रह रहे लागों के कल्याण तथा उनकी समस्याओं तथा भय के निराकरण हेतु प्रशिक्षित कॉउन्सलर व सभी धर्मो के प्रतिनिधियों द्वारा कॉउन्सिलिग कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी हेतु निम्नवत कॉउन्सिलिंग समितियों का गठन किया जाता है–

	क्र0 स0	कॉउन्सलर / धार्मिक प्रतिनिधि का नाम	पद नाम	मोबाईल न0	आवंटित क्षेत्र
समिति संख्या –01	1	डॉ एस0डी0 बर्मन,	मनोचिकित्सक, (पी0सी0पी0) चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9412104972	तहसील भटवाडी, डुण्डा, चिन्यालीसौड तथा उप तहसील जोशियाडा, धौन्तरी का सम्पूर्ण क्षेत्र
	2	डॉ0 अंशुमन शर्मा,	मनोचिकित्सक, (पी0सी0पी0)जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	–	
	3	श्री शिवप्रकाश जी महाराज	रावल, गंगोत्री मन्दिर समिति	9411174750	
	4	मो0 इरशाद कुरैशी,	अध्यक्ष, मस्जिद कमेटी, उत्तरकाशी।		
	5	मो0 यूनूस,	इमाम जामा मस्जिद, उत्तरकाशी	9411396912	
	6	श्री दिनेश प्रसाद भट्ट,	फार्मासिस्ट, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।		
	7	श्री सुरेश सेमवाल	अध्यक्ष श्री 5 मन्दिर समिति , गंगोत्री	9557111493	

Scanned with CamScanner

समिति संख्या–02	1	श्री कृतेश्वर उनियाल	सचिव, मन्दिर समिति यमनोत्री	9760167588	तहसील बडकोट, पुरोला तथा मोरी का सम्पूर्ण क्षेत्र
	2	डॉ अंगद राणा	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडकोट	9411142459	
	3	डॉ0 पंकज कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला।	7455074955	
	4	श्री मोहन प्रसाद	पुजारी, ग्राम गेर बनाल,	9927282149	
	5	समीर बेग	प्रतिनिधि मुसलिम समुदाय, खरादी, बडकोट।	7310747001	
	6	अयूब	प्रतिनिधि मुसलिम समुदाय, कुकरेडा तहसील मोरी।	9805147055	

उक्त गठित समितियां आवंटित क्षेत्रों में स्थित शरणालयों तथा ऐसे स्थलों जहॉ लॉक डाउन के कारण श्रमिक, निम्न वर्ग के लोग तथा निः सहाय/निराश्रित व्यक्ति रह रहे है उनका भ्रमण करते हुये एसे व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनकी कॉउन्सिलिंग करते हुये समस्याओं का निराकरण करेगें ताकि इनके मध्य व्याप्त भय एवं असुरक्षा की भावना को कम किया जा सकें। साथ ही उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, राशन की पर्याप्त मात्रा, किराये सम्बन्धी समस्यओं आदि पक्षों का निरन्तर अनुश्रवण कर उनके निरन्तर सम्पर्क में रहते हुये उन्हे मनो–सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायेगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांक– 01 अप्रैल, 2020

संख्या312/तेरह–आ0प्र0/2020

प्रतिलिपि –
1– पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह शिविरों अथवा अन्यत्र स्थानो पर निवासरत व्यक्तियों के निरन्तर सम्पर्क में रहेगें।
3– समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या– 315 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 2 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2020

सेवा में,

समस्त ग्राम प्रधान,
विकास खण्ड, भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड/नौगांव/पुरोला/मोरी।

विषयः– ग्राम पंचायत में आयो लोगों द्वारा होम संगरोधन (Home Quarantine) का पालन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–204/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/ कोरोना/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 को सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौट रहें है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखते हुये निगरानी कर कन्ट्रोल रूम को सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना है कि यदि ग्राम पंचायत में हाल ही में बाहरी राज्यों से आये लोगों द्वारा Home Quarantine की गाईडलाईन का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनमे कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों से समस्त ग्राम पंचायत के लोग संक्रमणित होने की सम्भावना है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित कराना है कि आपकी ग्राम पंचायत में बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से Home Quarantine में रखा जाना सुनिश्चित कराया जाना है। अगर उपरोक्त किसी व्यक्ति द्वारा Home Quarantine के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो उक्त की सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को अवगत कराते हुये कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर– 01374– 222641 एवं 222126 पर आवश्यक रूप से अवगत करायें। उक्त व्यक्तियों को यह भी सूचित करें कि उनके द्वारा 14 दिन तक Home Quarantine के उपरोक्त Home Quarantine दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– 1. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार समस्त ग्राम प्रधानों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपिः– 2 खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड/नौगांव/पुरोला/मोरी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या 316/तेरह–आ0प्र0/2020 दिनांक– 02 अप्रैल, 2020

1– समस्त उप जिलाधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

2– समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका/नगर पंचायत
जनपद उत्तरकाशी।

विषय– लॉक डाउन अवधि में वितरित भोजन, खाद्यन तथा कॉउन्सिल किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि 25 मार्च 2020 से आगामी 21 दिनों के लिए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन अवधि में जनपद में विभिन्न स्थानों पर बडी संख्या में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निःसहाय तथा बेघर व्यक्ति रूके हुये है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भोजन, खाद्यन्न तथा शरणालय सुविधा तथा मनौवेज्ञानिक उपचार/ सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त है।

उक्त के क्रम में जनपद में तहसील, ब्लॉक तथा नगरपालिका/नगरपंचायत स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निःसहाय तथा बेघर व्यक्तियों को आपके स्तर से भोजन, खाद्यन्न तथा शरणालय आदि की सुविधा/सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। आपके द्वारा जिन व्यक्तियों को उक्त सहायता प्रदान की जा रही है उनका पूर्ण विवरण तथा अभिलेख धारित करते हुये संलग्न प्रारूप पर प्रतिदिन की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

District-

Date	Number of Relief Camps	Location/ Name of the relief camp	Number of People staying in the camp (Provide camp-wise list in the separate sheet named Description of Relief camp)	Whether clean drinking water is availbale (Y/N)	Number of Food Packet Distributed in the Relief Camp	Status of Health Check ups and distribution of Medicines in Relief Camps			Status of Counselling Sessions in Relief Camps	
						Names of Doctors deployed	Number of people whose health check-up was done	Number of people who are sick. (Attach the list in the sheet - Description of Relief camp)	Names of Counsellors Deployed	Number of people councelled
		A								
		B								
		C								

Scanned with CamScanner

Description of Relief Camps

District:-

S.No.	Location/ Name of Relief Camps	Number of People Staying	Name of people staying in Camps	Father's/ Husband's name	Age	Sex	Phone number	Whether Sick Yes / No	Type of Illness	Treatment given Yes / No	Name of Nodal Officer for Relief Camp	Designation of Nodal Officer	Contact No. of Nodal Officer
1	A		a										
			b										
			c										
			d										
			e										
			f										
2	B		a										
			b										
			c										
			d										
			e										
			f										

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना(COVID-19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये है, वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में आवश्यक ड्यूटी हेतु निम्नलिखित विभागों के हल्के वाहनों की नितान्त आवश्यकता है। अतएव निम्नलिखित विभागों के हल्के वाहनों को दिनांक 22.03.2020 से अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से अधिगृहित किया जाता है:-

क0सं0	वाहन संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके नियंत्रण में वाहन है।
01.	यू0के-10/2066(बुलेरो)	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
02.	यू0ए0-10/0004(बुलेरो)	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।
03.	यू0के0-07/4944(बुलेरो)	प्रभागीय वनाधिकारी, लौगिग वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
04.	यू0के0-10/0850(बुलेरो)	जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
05.	यू0के0-10/0588(बुलेरो)	जिला सेवा योजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
06.	यू0के0-10/0617(बुलेरो)	जिला कीडा अधिकारी, उत्तरकाशी।
07.	यू0के0-10/0988(बुलेरो)	सहायक निदेशक डेरी विकास विभाग, उत्तरकाशी।
08.	यू0ए-07/3438(बुलेरो)	जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी
09.	यू0ए0-07/8884(बुलेरो)	जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी।
10.	यू0के0-07/7924(टाटासूमो)	राज्य कर अधिकारी, उत्तरकाशी।

सम्बन्धित अधिकारीगण उक्त वाहनों को मय चालक सहित दिनांक 22.03.2020 की प्रातः 10:00 बजे तक अवश्यमेव रूप से जिला कार्यालय, उत्तरकाशी के नजारत अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्याः 161 **/15-वाहन अधि0** **(2019-20)** **दिनांक** 21 **मार्च,2020**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण जनपद उत्तरकाशी।

2- प्रभारी अधिकारी(नजारत), जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना(COVID-19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये है, वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी कम में आवश्यक ड्यूटी हेतु निम्नलिखित विभागों के हल्के वाहनों की नितान्त आवश्यकता है। अतएव निम्नलिखित विभागों के हल्के वाहनों को दिनांक 24.03.2020 से अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से अधिगृहित किया जाता है:-

क0सं0	वाहन संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके नियंत्रण में वाहन है।
01.	यू0के-10/0002(बुलेरो)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग,उत्तरकाशी।
02.	यू0के0-10/0008(बुलेरो)	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तरकाशी।
03.	यू0के0-07/1536(बुलेरो)	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
04.	यू0के0-10/0006(बुलेरो)	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
05.	यू0के0-07/0263(बुलेरो)	अधिसाशी अभियन्ता लो0नि0वि.विश्व बैंक, उत्तरकाशी
06.	यू0के0-10/0603(बुलेरो)	अधिसाशी अभियन्ता,लो0नि0वि(CPWD)उत्तरकाशी।
07.	यू0के0-10/0618(बुलेरो)	अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0,(PMGSY) उत्तरकाशी
08.	यू0के0-10/1535(बुलेरो)	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0भटवाड़ी।
09.	यू0ए0-07/4221(बुलेरो)	जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी।
10.	यू0के0-10/1168(बुलेरो)	सहायक निबन्धन सहकारी समितियाँ, उत्तरकाशी।

सम्बन्धित अधिकारीगण उक्त वाहनों को मय चालक सहित दिनांक 24.03.2020 की सायं: 04:00 बजे तक अवश्यमेव रूप से जिला कार्यालय, उत्तरकाशी के नजारत अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विभागीय वाहनों को सही हालत में तैयार रखेगें तथा अपना व वाहन चालक का मोबाइल फोन किसी भी दशा में बन्द नही रखेगें। आवश्यकता पड़ने पर आपके विभागीय वाहन को मय चालक सहित किसी भी समय बुलाया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या: 217 /15-वाहन अधि0 (2019-20) दिनांक 24 मार्च,2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण जनपद उत्तरकाशी।
3- समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उत्तरकाशी।
2- प्रभारी अधिकारी(नजारत), जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी के यमुमना घाटी(विकास खण्ड नौगांव, पुरोला एवं मोरी) हेतु कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागीय कर्मियो सहित वाहन चालकों, सुरक्षा कर्मियो, स्वयं सेवकों, होटल कर्मियों, आशा, ए0एन0एम0,एन0एस0एस0,एन0सी0सी0, आंगनबाडी कर्मियों व जनसामान्य की आवश्यकता होगी। उक्त वायरस के संक्रमण से राहत कार्यो में लगे समस्त कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त कर्मिकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता, बैच तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने, प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण करने, प्रशिक्षण सामग्री का परीक्षण तथा दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर आंकलन करने व प्रशिक्षण के अनुश्रवण करने, जिससे राहत कार्य करने वाले समस्त कार्मिको द्वारा कार्य के दौरान सम्भावित त्रुटियों के न्यूनीकरण किये जाने के उदेश्य से निम्न प्रकार प्रशिक्षण विंग गठित की जाती है–

क्र0सं0	आधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष नम्बर
1	श्री विनोद कुमार सिमल्टी	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बडकोट।	7253993565 9068415667
2	श्री चतर सिंह चौहान	खण्ड शिक्षाधिकारी (पुरोला)	7895014434
3	श्री अमित चौहान	उप शिक्षाधिकारी (नौगांव)	9760766486
4	श्रीमती भारती भण्डारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी (नौगांव)	

उक्त प्रशिक्षण विंग, पूर्व में प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारी, सर्व श्री रामेन्द्र कुशवाहा मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तरकाशी, श्री जितेन्द्र सक्सेना जिला शिक्षाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सुश्री दृष्टि आनंद खण्ड शिक्षा अधिकारी, डुण्डा, डॉ0 विपुल विश्वास, उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डॉ0 तरूण बुकेश्वर से समन्वय कर, होने वाले समस्त प्रशिक्षणों का प्रभावी संचालन व उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारियों के सम्यक दायित्व निर्वहन हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला सभागार कलक्ट्रेट उत्तरकाशी में दिनांक 02.04.2020 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी है, जिसमें अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या– 313/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक ~~मार्च~~ 01 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
3– प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
3– उपरोक्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बन्ध में जारी एडवयजरी/निर्देशों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 200/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/कोरोना/2020 दिनांक 23 मार्च, के द्वारा सुपर जोनल, जोनल व सेक्टर प्रभारी तैनात किए गये थे। जिसके क्रम में श्री ज्वाला प्रसाद वन क्षेत्राधिकारी, सूपिन रेंज नैटवाड, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला की तैनाती थाना मोरी अर्न्तगत आराकोट बाजार हेतु सेक्टर प्रभारी तैनात किये गये हैं। उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अग्रसारित पत्र दिनांक 30.03.2020 के क्रम में श्री ज्वाला प्रसाद वन क्षेत्राधिकारी, सूपिन रेंज नैटवाड, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के स्थान पर श्री किशोरी लाल शाह, वन क्षेत्राधिकारी, कोटिगाड रेंज, आराकोट, टौंस वन प्रभाग, पुरोला की तैनाती की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

प्रभारी अधिकरी,
कृते–जिलाधिकरी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 314 */तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020* *दिनांक–* 01 ~~मार्च~~ अप्रैल*, 2020*

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
3. उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला
4. उपजिलाधिकारी, पुरोला।
5. थानाध्यक्ष, मोरी।
6. उपरोक्त कर्मियों को शीघ्र अनुपोलनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकरी,
कृते–जिलाधिकरी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आदेश

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 777/प्रा0र0द0–स्वयं सेवक डयूटी प0/ 2019–20 दिनांक 31 मार्च 2020 के द्वारा आपदा कन्ट्रोल रूम में 10 प्रा0र0द0 स्वयं सेवको तैनात करने के निर्देश दिये गये है। जिस हेतु 10 प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों की सूची आपदा कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूची को संसोधित करते हुए निम्न स्वयं सेवकों की तैनाती की जाती है।

क0स0	स्वयं सेवक का नाम	परिवर्तित स्वयं सेवक का नाम	पिता का नाम	मो0 न0
1	श्री विजयपाल खत्री	–	–	9411568121
2	श्री दुर्गेश भट्ट	–	–	9639678772
3	श्री नागेन्द्र चौहान	–	–	6399926975
4	श्री बचन सिंह	–	–	9997497945
5	श्री बिरेन्द्र सिंह	श्री इलम सिंह	श्री मानविरेन्द्र	9837645318
6	श्री राजेश भट्ट	श्री सुनील चौहान	श्री झगड़ सिंह	9759992619
7	श्री कृपा लाल	श्री हरिओम सिंह	श्री कृपाल सिंह	9458951478
8	श्री विनोद सिंह	श्री बुद्वि सिंह	श्री चतर सिंह	9458954500
9	श्री जितेन्द्र सिंह	श्री सूरज सिह	श्री बालेन्द्र सिंह	7895494223
10	–	श्री प्रवीन सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह	9760302936

अतः उपरोक्त प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों को आदेशित किया जाता है कि तत्काल अपनी योगदान सूचना आपदा कन्ट्रोल रूम उत्तरकाशी में देना सुनिश्चित करें।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी उत्तरकाशी।

पत्रांक 01 /प्रा0र0द0–स्वयं सेवक डयूटी प0/2020–21 दिनांक 01 अप्रैल 2020

प्रतिलिपिः– 1 जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2 जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उत्तरकाशी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

दिनांक 31 मार्च 2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में चिकित्सा सामग्री / उपकरण कय करने तथा आईसोलेशन वार्ड के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत–

कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के रोकथाम हेतु जनपद में चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता तथा भावी आवश्यकता के आकंलन तथा कय करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में आपदा परिचालन केन्द्र में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी डुण्डा, प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय तथा आपदा प्रबन्धन अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निम्न प्रकार विचार–विमर्श किया गया तथा निर्देश दिये गये।

1–सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा जनपद में तथा जिला चिकित्साालय में उपलब्ध चिकित्सा सामग्री जिसका उपयोग कोविड–19 सक्रमंण के रोकथाम हेतु आवश्यक है का विवरण उपलब्ध कराया गया। जनपद तथा जिला चिकित्सालय में आज की तिथि ट्रिपल लेयर मास्क 6858, सेनिटाईजर–1092, एन–95 मास्क–1280, पी0पी0ई0 –234, ग्लव्ज–10423, उपलब्ध है।

2–बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि जनपद एवं जिला चिकित्सालय में 6858 ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध है। वर्तमान समय में कोरोना सक्रमंण के दृष्टिगत मास्क की और अधिक आवश्यकता होगी। कोरोना सक्रमंण तथा लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, नगरपालिका तथा चिकित्सा एवं फील्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के लिए मास्क की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि कोरोना सक्रमण का प्रसार होता है तो उस स्थिति से निपटने हेतु जनपद स्तर पर मास्क का स्टॉक काफी संख्या में होना चाहिए। सी0एम0ओ एवं पी0एम0एस0 द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार बैठक में 20 हजार ट्रिपल लेयर मास्क खरीदने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है।

3– बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि जनपद एवं जिला चिकित्सालय में 1280 एन–95 मास्क उपलब्ध है। जनपद में कोरोना सकंमण को रोकने तथा इस कार्य में तैनात चिकित्सा तथा अन्य विभागीय कार्मिकों हेतु यह स्टॉक अप्रर्याप्त है। सी0एम0ओ0 एवं सी0एम0एस0 द्वारा आकंलन किया गया कि जनपद हेतु 5–6 हजार अतिरिक्त एन–95 मास्क की आवश्यकता पड़ेगी। N-95 मास्क से मेडिकल कर्मियों के आत्मविश्वास में वृद्वि एवं कार्य हेतु संक्रमण से बचाव हेतु अनिवार्यता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा व्यक्त की गयी।

4– जनपद में पी0पी0ई0 किट की उपलब्धता 234 है। कोविड–19 के सक्रंमण के सम्भावित प्रसार के दृष्टिगत यह अत्यन्त न्यून है। जनपद में विदेशों तथा विभिन्न राज्यों से अभी तक 3373 व्यक्ति आये है। इन व्यक्तियों से जनपद में कोरोना सक्रंमण फैलने की प्रबल सम्भावना है। प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोरोना सकंमण से निपटने के दृष्टिगत पूर्व तैयारियों के कम में 1000 अतिरिक्त पी0पी0ई0 किट अबिलम्ब कय को औचित्यपूर्ण माना गया।

क्रमशः.................2

Scanned with CamScanner

5– जनपद में वर्तमान में 1092 सैनिटाईजर उपलब्ध है। कोरोना सकंमण के दृष्टिगत विभिन्न चिकित्सालयों तथा कार्यालयों हेतु अतिरिक्त मात्रा में सैनिटाईजर कय किया जाना आवश्यक है। पी0एम0एस0 तथा सी0एम0ओ0 द्वारा बैठक में अवगत कराया कि जनपद में विदेशों तथा राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आये है और उनमें कोरोना के लक्षण प्रकट होने की अत्यधिक सम्भावना है जिसके दृष्टिगत जनपद हेतु सैनिटाईजर का कय करना अति आवश्यक है। बैठक में चिकित्सा विभाग द्वारा 500 एम0एल0 के 1800 सैनिटाईजर तथा 120 एम0एल0 के 576 सैनिटाईजर की आवश्यकता है तथा कय करने की मांग की गयी। यह मॉग की मात्रा अधिक होने का औचित्य मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पुलिस कर्मियों, जनमानस से अंतक्रिया (व्यवहार) करने वाले विभिन्न कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु उपयुक्त/आवश्यक बतायी गयी। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सैनिटाईजर का मांग के अनुरूप कय किया जाय। किन्तु 500 एम0एल0 तथा 120 एम0एल0 की बोतल को 50 से 100 एम0एल0 की छोटी बोतल में भरकर मांग के अनुरूप विभिन्न विभागों एवं चिकित्सालय को उपलब्ध करायी जाये। किसी भी दशा में सैनिटाईजर का दुरूप्रयोग न किया जाय तथा मितव्ययता से इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

6– जनपद में कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़ने की सम्भावना है। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर बड़ी संख्या में लोगों के स्वाब के सैम्पल लिये जाने आवश्यक होगें जिस हेतु प्रर्याप्त संख्या बी0टी0वाइल कय करना आवश्यक है। जनपद में वर्तमान समय में 44 वी0टी0वायस शेष रह गये है। बैठक में पी0एम0एस0 द्वारा अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों के सैम्पल हेतु 500 बी0टी0वाईल की आवश्यकता होगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा द्वारा बताया गया कि जनपद अभी में तक 3372 बाहरी लोग आये है और संक्रमण पाये जाने पर Contact Tracing में एक साथ अनेक व्यक्तियों के नमूने प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक बताया गया। यदि संक्रमण प्रभावित या लक्षण वाले लोग अधिक संख्या में आते है तो न्यूनतम 500 बी0टी0वाईल रखना उचित होगा। बैठक में सम्यक विचारोंपरान्त 500 बी0टी0वाईल कय करने को औचित्यपूर्ण पाया गया।

7– प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि जिला चिकित्सालय में कोविड–19 संक्रमण से निपटने हेतु 100 बेड क्षमता के आइसोलेशन वार्ड तैयार किये जा रहे है। आईसोलेशन वार्ड हेतु उच्च गुणवत्ता के 20 मेडिकल वेड तथा 02 ट्रॅाली की अतिरिक्त आवश्यकता है। आईसोलेशन वार्ड में ए0सी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें चिकित्सकों द्वारा यह बताया गया कि आईसोलेशन वार्ड के प्रोटोकॉल के अनुरुप हवादार कक्ष होना आवश्यक है तथा प्रति घण्टा 12 बार हवा का विनिमय (Air Exchange) होना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं डॉ0 सुवेग द्वारा अवगत कराया गया कि आईसोलेशन वार्ड हेतु N–95 फिल्टरयुक्त Exhaust Fan के साथ लगाये जाने उपयुक्त होंगे। बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आइसोलेशन हेतु तैयार उपरोक्त वार्डो में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त क्षमता का Exhaust Fan मय N–95 फिल्टर के साथ जिसमें वार्ड की प्रोटोकॉल अनुसार वैन्टीलेशन भी हो सकेगी तथा संक्रमण से बचाव किया जा सकेगा। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आईसोलेशन वार्ड हेतु 20 मेडिकल वेड तथा 02 ट्राली क्रय करने की मांग की गयी, जिसे क्रय किये जाने की सहमति बनी।

Scanned with CamScanner

8– कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु जनपद में चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल कार्मिकों की भर्ती किये जाने की निर्देश शासन से प्राप्त है। जिसके कम में मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मुख्य विकास अधिकारी तथा सी0एम0ओ0 द्वारा अवगत कराया कि उनके स्तर पर भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही के क्रम में इम्पैनल्ड ऐजन्सी को मांग प्रेषित की जा चुकी है। किन्तु नियोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त कार्मिकों की तैनाती में शिथिलता वरती जा रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र नियुक्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। सचिव चिकित्सा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की वर्तमान की स्थिति की दृष्टिगत जिला चिकित्सालय हेतु कार्मिकों की अस्थायी तैनाती करने की कार्यवाही जिलास्तर पर सम्पादित की जाये। अस्थायी नियुक्ति/तैनाती हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया जनपद में भर्ती समिति का गठन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता की में किया जाये जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय, उप जिलाधिकारी भटवाडी, तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सदस्य रखा जाये तथा अविलम्ब नियुक्ति प्रकिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

9– जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बाहर से आये चिकित्सकों हेतु आवास तथा भोजन की समुचित व्यवस्था गढवाल मण्डल विकास निगम तथा आवश्यकता पड़ने पर निजी होटलों में करना सुनिश्चित करें।

10– बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिकित्सा सामग्री की जनपद में कमी के सम्बन्ध रोष प्रकट किया तथा अवगत कराया कि जनपद की मांग के अनुरूप सामग्री न्यून मात्रा में रखा जाना उचित नहीं है। जिलाधिकारी क्रय समिति को निर्देशित किया कि तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से चिकित्सा सामग्री तथा उपकरणों की विवेकसम्मत, औचित्यपूर्ण मात्रा में कर क्रय करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि क्रय की जाने वाली सामग्री आवश्यकता के अनुरूप ही हो। यह भी निर्देश दिये गये कि कय समिति अन्यत्र जनपदों से चिकित्सा सामग्री की दरों का मिलान कर लें तथा जनपद स्तर पर कोविड–19 संक्रमण से पूर्व कय सामग्री की दरों से तुलना करें ताकि मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि प्रकट होने पर उचित मूल्य पर मितव्ययता सुनिश्चित करते हुए सामग्री कय की जाये।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या–708/एस0पी0ए0/2020 दिनांक– 31. मार्च, 2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
5. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी ।
6. जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आदेश

जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की स्वीकृति दिनांक 31.03.2020 के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं बजट समाप्त होने के फलस्वरुप विभागीय बजट से तैनात विभिन्न कार्यालयों में समस्त प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों की तैनाती दिनांक 31.03.2020 के अपराहन से अग्रिम आदेशों तक समाप्त की जाती है।

अतः विभागीय बजट से तैनात समस्त प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने डयूटी स्थल से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करें। यदि इसके पश्चात कोई भी प्रा0र0द0 स्वयं सेवक स्वेच्छा से डयूटी पर तैनात रहता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित स्वयं सेवक की होगी जिसका भुगतान अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

जिला युवा कल्याण एव
प्रा0र0द0 अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्रांक 778 /प्रा0र0द0–डयूटी0प0/2019 –20 दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः–
1– जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय उत्तरकाशी की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– समस्त उपजिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– समस्त तहसीलदार उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5– समस्त कार्यालयाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों को कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। यदि इसके पश्चात किसी भी स्वयं सेवक को आप द्वारा कार्यमुक्त न करने की दशा में पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष की होगी तथा कार्यमुक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी को करने का कष्ट करें।
6– समस्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि अपने–अपने विकासखण्डों में तैनात प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7– विभागीय बजट से तैनात समस्त प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों को परिपालनार्थ।

31/3/20

जिला युवा कल्याण एव
प्रा0र0द0 अधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागीय कर्मियो सहित वाहन चालकों, सुरक्षा कर्मियो, स्वयं सेवकों, होटल कर्मियों, आशा, ए0एन0एम0,एन0एस0एस0,एन0सी0सी0, आंगनबाडी कर्मियों व जनसामान्य की आवश्यकता होगी। उक्त वायरस के संक्रमण से राहत कार्यो में लगे समस्त कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त कर्मिकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता, बैच तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने, प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण करने, प्रशिक्षण सामग्री का परीक्षण तथा दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर आंकलन करने व प्रशिक्षण के अनुश्रवण करने, जिससे राहत कार्य करने वाले समस्त कार्मिको द्वारा कार्य के दौरान सम्भावित त्रुटियों के न्यूनीकरण किये जाने के उदेश्य से निम्न प्रकार प्रशिक्षण विंग गठित की जाती है–

क्र0सं0	आधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष नम्बर
1	श्री रामेन्द्र कुशवाहा	मुख्य शिक्षाधिकारी।	9410549727
2	श्री जितेन्द्र सक्सेना	जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक)	9410913699
3	सुश्री दृष्टि आनंद	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	9897970545
4	श्री विक्रम जोशी	खण्ड शिक्षाधिकारी, डुण्डा	8171778011

उक्त प्रशिक्षण विंग, पूर्व में प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारी, डॉ0 विपुल विश्वास, उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डॉ0 तरूण बुकेश्वर से समन्वय कर, होने वाले समस्त प्रशिक्षणों का प्रभावी संचालन व उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या– /आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
3– प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
3– उपरोक्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

DEOC/nego-2020

Scanned with CamScanner

आदेश ::

कोरोना वायरस के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 147/तेरह–आ0प्र0/कोरोना/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020 के द्वारा कोरोना वायरस से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान–प्रदान आदि हेतु निम्नांकित अधिकारियों की तैनाती तिथिवार आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में की गयी थी। लॉकडाउन के दृष्टिगत निम्न अधिकारियों की तैनाती निम्नानुसार बढ़ायी जाती है।

तैनाती की तिथि	समय	अधिकारी नाम/पदनाम
01-04-2020	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तरकाशी।
02-04-2020		जिला मिशन प्रबन्धक, एन0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0का0।
03-04-2020		अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तरकाशी।
04-04-2020		कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0का0।
05-04-2020		अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी।
06-04-2020		महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी।
07-04-2020		जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी। (माध्यमिक)
08-04-2020		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
09-04-2020		लौगिंक प्रबन्धक, वन निगम, उत्तरकाशी।
10-04-2020		जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी। (बेसिक)
11-04-2020		अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
12-04-2020		अधिशासी अभियंता, जल निगम, उत्तरकाशी।
13-04-2020		जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितयां, उत्तराखण्ड, उ0का0।
14-04-2020		जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उ0का0।
15-04-2020		सहायक निदेशक, डेयरी विकास, उत्तरकाशी।
16-04-2020		अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय-अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 308/तेरह–आ0प्र0/कोरोना/2020 *दिनांक–31 मार्च, 2020*

प्रतिलिपिः– उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अन्य जनपदों/राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच करते हुये उन्हे होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा दिशा निर्देशानुसार होम क्वारंटीन प्रोटोकॉल अनुपालन कराये जाने तथा ट्रेवल हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्न प्रकार कोविड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते है।

क्र0सं0	जोन	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	प्रान्तीय रक्षक दल से तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0 न0
1	सारी, स्याबा	श्री तकदीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–7579016888	डॉ0 दिनेश भट्ट(हौम्योपेथिक) मो0–9456118284 7456998732	श्री बचन सिंह 9997497945	UK10-4944	जयेन्द्र भट्ट मो0–9458134142
2	मानपुर ,गिण्डा, बौगां	श्री विकास नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–8979455464	डॉ0 यशी S.A.D. रैथल। मो0 9411530721	श्री जितेन्द्र सिंह मो0 9411733421	UK07-2630	दीपेन्द्र शाह मो0–9068719334
3	झानसू, डांग पोखरी	श्री सन्दीप भट्ट अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, ज्ञानसू मो0 9760275099	डॉ0 शैलेन्द्र बिजल्वाण P.A.C. भटवाड़ी। मो0 8057890953	श्री दुर्गेश प्रसाद भट्ट मो0 9639678772	UK10-0002	जितेन्द्र सिंह गुसांई मो0–9456335139
4	ज्ञाणजा,साल्ड	श्री आशीष भट्ट सहायक. अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तरकाशी। मो0 9760041357	डॉ0 एम.एस. राणा मो0 9411143358 9690458052	श्री विजलपाल खत्री मो0 9411568121	UK10-0008	अनिल सिंह मो0–9627791782
5	झाला, पुराली, मंकोली	श्री गिरीश सिंह राणा, कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू मो0 9897431633	राकेश कुमार(फार्मासिस्ट) मो0–7579031704	श्री नागेन्द्र चौहान मो0 96399926975	UK10-0615	जय प्रकाश मो0–7895815666
6	चीवां, नैताला,नौगांव ,गजोली	श्री अरविन्द सिंह, अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो0 7895161286	डॉ0 रविन्द्र राणा S.A.D. मनेरी मो0 7302465258	श्री विनोद पंवार मो0 7351873772	UA10-0507	विपिन सिंह रावत मो0–8979831960
7	कामर, डिडसारी	श्री राजेश नौटियाल, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो0 9412381199	डॉ0 अशीष व्यास मो0–9411299048	श्री विरेन्द्र रावत मो0 9760331634	UK07-0414	जितेन्द्र मो0–9690604215
8	गोरशाली, बयाणा	श्री हिमांशु नौटियाल, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी। मो0 9411141866	रितेश नौटियाल(फार्मासिस्ट) मो0–8958306040	श्री राजेश भट्ट मो0 7055863321	UK10-0776	हरेन्द्र सिंह नेगी मो0–8126156681
9	सिल्ला, उतरों	श्री हरीश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता पयेजल निगम, उत्तरकाशी। मो0 7500817383	श्री राजेन्द्र (फार्मासिस्ट) मो0–9634567610	श्री विरेन्द्र सिंह मो0–9760331634	UK10-0006	कमल सिंह असवाल मो0–8979064313

उक्त टीम ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जॉच करते हुये आंख्या दैनिक रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–307/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि:–

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालननार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

DEOC/negi 2020

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अन्य जनपदों/राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच करते हुये उन्हे होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा दिशा निर्देशानुसार होम क्वारंटीन प्रोटोकॉल अनुपालन कराये जाने तथा ट्रेवल हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए निम्न प्रकार कोविड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते है।

क्र0सं0	जोन	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	प्रान्तीय रक्षक दल से तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0 न0
1	सारी, स्याबा	श्री तकदीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–7579016888	डॉ0 दिनेश भट्ट(हौम्योपेथिक) मो0–9456118284 7456998732	श्री बचन सिंह 9997497945	UK10-4944	जयेन्द्र भट्ट मो0–9458134142
2	मानपुर ,गिण्डा, बौगा	श्री विकास नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–8979455464	डॉ0 यशी S.A.D. रैथल। मो0 9411530721	श्री जितेन्द्र सिंह मो0 9411733421	UK07-2630	दीपेन्द्र शाह मो0–9068719334
3	ज्ञानसू, डांग पोखरी	श्री सन्दीप भट्ट अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, ज्ञानसू मो0 9760275099	डॉ0 शैलेन्द्र बिजल्वाण P.A.C. भटवाड़ी। मो0 8057890953	श्री दुर्गेश प्रसाद भट्ट मो0 9639678772	UK10-0002	जितेन्द्र सिंह गुसांई मो0–9456335139
4	ज्ञाणजा,साल्ड	श्री आशीष भट्ट सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तरकाशी। मो0 9760041357	डॉ0 एम.एस. राणा मो0 9411143358 9690458052	श्री विजलपाल खत्री मो0 9411568121	UK10-0008	अनिल सिंह मो0–9627791782
5	झाला, पुराली, मंकोली	श्री गिरीश सिंह राणा, कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू मो0 9897431633	राकेश कुमार(फार्मासिस्ट) मो0–7579031704	श्री नागेन्द्र चौहान मो0 96399926975	UK10-0615	जय प्रकाश मो0–7895815666
6	चीवां, नैताला,नौगांव ,गजोली	श्री अरविन्द सिंह, अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो0 7895161286	डॉ0 रविन्द्र राणा S.A.D. मनेरी मो0 7302465258	श्री विनोद पंवार मो0 7351873772	UA10-0507	विपिन सिंह रावत मो0–8979831960
7	कामर, डिडसारी	श्री राजेश नौटियाल, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मो0 9412381199	डॉ0 अशीष व्यास मो0–9411299048	श्री विरेन्द्र रावत मो0 9760331634	UK07-0414	जितेन्द्र मो0–9690604215
8	गोरशाली, बयाणा	श्री हिमांशु नौटियाल, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी। मो0 9411141866	रितेश नौटियाल(फार्मासिस्ट) मो0–8958306040	श्री राजेश भट्ट मो0 7055863321	UK10-0776	हरेन्द्र सिंह नेगी मो0–8126156681
9	सिल्ला, उतरों	श्री हरीश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता पयेजल निगम, उत्तरकाशी। मो0 7500817383	श्री राजेन्द्र (फार्मासिस्ट) मो0–9634567610	श्री विरेन्द्र सिंह मो0–9760331634	UK10-0006	कमल सिंह असवाल मो0–8979064313

उक्त टीम ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में जॉच करते हुये आंख्या दैनिक रूप से अधोहस्क्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–307/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक31 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः–

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालननार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण के पूर्व नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत अन्य जनपदों/राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच करते हुये उन्हे होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा दिशा निर्देशानुसार होम क्वारंटीन प्रोटोकॉल अनुपालन कराये जाने तथा ट्रेवल हिस्ट्री सम्बन्धित डाटा रखे जाने के साथ ही इस सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के लिए इस कार्यालय के आदेश संख्या– 307/ आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 के द्वारा निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन कर क्रम संख्या–9 पर अंकित सिल्ला, उत्तरों जोन में तैनात प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारी श्री विरेन्द्र सिंह के स्थान पर श्री कृपा लाल मो0 – 7579260588 की तैनाती की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या– 310/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः–

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालननार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक वर्तमान समय में कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में वाररूम तथा क्यू0आर0टी0 टीम का गठन किया गया है। उक्त केन्द्र के कार्यों हेतु श्री कन्हैया, प्रधान सहायक, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी की तैनाती दिनांक 01.04.2020 से रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक अग्रिम आदेश तक की जाती है। उक्त कार्मिक को निर्देश दिये जाते है कि वाररूम तैनात यू0आर0टी0 टीम के साथ तैनात रहकर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–306/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कार्मिक को जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में तैनाती देने हेतु निर्देशित करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक वर्तमान समय में कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में वाररूम तथा क्यू0आर0टी0 टीम का गठन किया गया है। उक्त केन्द्र के कार्यों हेतु श्री कन्हैया, प्रधान सहायक, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी की तैनाती दिनांक 01.04.2020 से रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक अग्रिम आदेश तक की जाती है। उक्त कार्मिक को निर्देश दिये जाते है कि वाररूम तैनात यू0आर0टी0 टीम के साथ तैनात रहकर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांक 31 मार्च, 2020

पत्र संख्या–306/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

<u>प्रतिलिपि</u> :– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कार्मिक को जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में तैनाती देने हेतु निर्देशित करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आदेश

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के कम में निम्न प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों की तैनाती आपदा कन्ट्रोल रूम उत्तरकाशी में की जाती है।

क0स0	स्वयं सेवक का नाम	पिता का नाम	मो0 न0
1	श्री विजयपाल खत्री	श्री हीरा सिंह	9411568121
2	श्री दुर्गेश भट्ट	श्री ब्रह्मानन्द	9639678772
3	श्री नागेन्द्र चौहान	श्री केशर सिंह	6399926975
4	श्री बचन सिंह	श्री हुकम सिंह	9997497945
5	श्री बिरेन्द्र सिंह	श्री रामरतन सिंह	9760331634
6	श्री राजेश भट्ट	श्री कुलानन्दु	7055863321
7	श्री कृपा लाल	श्री सिरमू	7579260588
8	श्री विनोद सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	7351873771
9	श्री जितेन्द्र सिंह	श्री चन्दन सिंह	9411733421

अतः उपरोक्त प्रा0र0द0 स्वयं सेवकों को आदेशित किया जाता है कि तत्काल अपनी योगदान सूचना आपदा कन्ट्रोल रूम उत्तरकाशी में देना सुनिश्चित करें।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी उत्तरकाशी।

पत्रांक 777 /प्रा0र0द0–स्वयं सेवक डयूटी प0/2019–20 दिनांक 31 मार्च 2020

प्रतिलिपिः–
1 जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2 जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उत्तरकाशी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश संख्या–226 **दिनांक 25 मार्च, 2020 के द्वारा श्री मनोज कुमार, अपर संख्याधिकारी, उत्तरकाशी** की तैनाती आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी (नियंत्रण कक्ष) में कोरोना वायरस से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान हेतु की गयी है। उक्त कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

रपत्र संख्या–305/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपरोक्त कर्मचारी।
2. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्थापित कन्ट्रोल रूम व उनकी नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों का विवरण –

क्र0सं0	कन्ट्रोल रूम का विवरण	कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	नोडल अधिकारी का दूरभाष नम्बर
1	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र	01374–222126/टोलफी नम्बर–1077 with PRI Line 05 Connection) मोबाईल नम्बर– 7500337269, 7252887587, 7310913129 सैटेलाईट फोन नम्बर– 918991117704, फैक्स नम्बर– 01374– 222722 वायरलेससेट–पुलिस वायरलेस सेट वन विभाग	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299
			श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।	9456147974
2	पुलिस कन्ट्रोल रूम	9411112976 8868815266	श्री कमल सिंह पंवार, पुलिस उपाधीक्षक, नोडल	9411112779
			श्री सचिन कुमार, रेडियो संचार अधिकारी, उत्तरकाशी।	9456311248
			श्री सुधांशू SI प्रभारी	9456378119
3	वार रूम, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	01374–222640	डॉ0 वी0के0 विश्वास, उप चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	7248336889
			श्री जयप्रकाश सिंह पंवार	9456326641
4	हेल्प डेस्क	01374–222177	श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड चिन्यालीसोड	7579186700
5	नागरिक आपूर्ति		श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी।	9411149140

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्थापित कन्ट्रोल रूम, नोडल अधिकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों का विवरण –

क्र.सं.	कार्य/विवरण	नोडल अधिकारी नाम/पदनाम	मोबाईल नम्बर	अन्य दूरभाष नम्बर
1	कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सम्पूर्ण जनपद नोडल अधिकारी	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374– 222109
2	परगना स्तर IRS प्रणाली के तहत **Incident Commander**	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उप जिला मजिस्ट्रेट, भटवाडी	9410191049	01374–222166
		श्री आकाश जोशी, उप जिला मजिस्ट्रेट, डुण्डा।	7579073428	01371–225419
		श्री सोहन सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट, बडकोट	9719773528	01375–224423
		श्री मनीष कुमार , उप जिला मजिस्ट्रेट, बडकोट (प्रशिक्षु आई०ए०एस०)	8447513145	01373–223321
3	अन्यत्र राज्यों में फंसे व्यक्तियों की सहायता हेतु	श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।	9411112733	कार्यालय–222116 आवास– 222102
		श्री पी०सी० डंडरियाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	9410108103	01374–222724
		श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374– 222109
4	जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत बाहर से आने वाले नागिरिकों के चिन्हिकरण हेतु	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374– 222109
		डॉ० डी०पी० जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	9837020379	01374–222106
		डॉ० वी०के० विश्वास, उप चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	7248336889	01374–222106
		श्री कमल सिंह पंवार, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी (गंगा वैली)	9411112779	01374–222116
		श्री अनुज, पुलिस उपाधीक्षक, बडकोअ (यमुना वैली)	9411112766	01375–224241
5	नागरिक आपूर्ति	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी।	9411149140	01374–222269
		श्री गोपाल मट्टा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।	9410180103 7088115020	01374–223839
6	क्रय एवं फाईनेंस	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374– 222109
7	ट्रेनिंग	डॉ० तरूण बुकेश्वर, चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	9759075509	–
8	मूल्य नियंत्रण	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	9412990299	01374– 222109
9	होम डिलेवरी	श्री सचिन कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी।	7894808800	–
10	हेल्प डेस्क	श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड चिन्यालीसोड	7579186700	–

क्रमशः.........2

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	कार्य / विवरण	नोडल अधिकारी नाम / पदनाम	मोबाईल नम्बर	अन्य दूरभाष नम्बर
11	खान–पान व्यवस्था	श्री चतर सिंह चौहान प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय उत्तरकाशी।	8006509340	–
12	मीडिया मैनेजमेन्ट	श्री चतर सिंह चौहान, प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय उत्तरकाशी।	8006509340	–
13	होम क्वॉरनटाइन	डॉ0 सुजाता, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9411723371	–
14	अभिलेखीकरण	श्री सुरेश नौटियाल, अपर अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तरकाशी।	9719491692	–
15	परिवहन	श्री चक्रपाणि मिश्रा, सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।	9560904773	–
16	कार्मिक प्रबन्धन	श्री पी0सी0 डंडरियाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	9410108103	01374–222724
17	असंगठित मजदूरों का कल्याण	श्री दर्शन लाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	9690465761	–
18	प्रभारी, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	डॉ0 एस0डी0 सकलानी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकशी।	7830700501	–
19	आपदा प्रबन्धन	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।	9456147974	–

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

संख्या 3137 / तेरह– कोविड–19 /2020 दिनांक 31, मार्च 2020

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट वैंक,
उत्तरकाशी।

विषय :– आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तहसीलदारो के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषयक निम्न प्रकार तहसीलदारों के नाम से संचालित वैंक खाते में धनराशि आर0टी0जी0एस0/नैफ्टी के माध्यम से हस्तान्तरित करने का कष्ट करे, तथा भुगतान की जा रही कुल धनराशि रू0 30.00 लाख (तीस लाख) भारतीय स्टेट वैंक उत्तरकाशी मे जिलाधिकारी उत्तरकाशी के नाम से संचालित चालू खाता संख्या 11288290416 से समायोजित की जाय।

क्रमांक	तहसील का नाम	वैंक का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0सी0कोड	धनराशि (रू0 मे)
1	भटवाडी	भा0स्टेट वैंक	31799371237	एस0वी0आई0एन0–0002316	5,00,000.00
2	डुण्डा	पी0एन0वी0	1533001300000378	पी0यू0एन0बी0–0153300	5,00,000.00
3	चिन्यालीसौड	भा0स्टेट वैंक	31473311019	एस0वी0आई0एन0–0003934	5,00,000.00
4	बडकोट	भा0स्टेट वैंक	11802212038	एस0वी0आई0एन0–0003290	5,00,000.00
5	पुरोला	भा0स्टेट वैंक	31778272866	एस0वी0आई0एन0–0003293	5,00,000.00
6	मोरी	भा0स्टेट वैंक	31478428283	एस0वी0आई0एन0–0005451	5,00,000.00
				योग :–	30,000,00.00

(तीस लाख मात्र)

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि– जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदारों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वर्तमान मे कोरोना वायरस के सक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत लॉक डाउन की स्थिति मे अपनी तहसील/उप तहसीलान्तर्गत निवासरत गरीब व्यक्तियों, जरूरतमंद व्यक्तियों तथा प्रवासी मजदूरों / श्रमिकों को लॉक डाउन अवधि में शरणगृह स्थापित करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को भोजन आदि की व्यवस्था हेतु अग्रिम के रूप मे आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग समय – समय पर निर्गत वित्तीय नियमों का पालन करते हुए कार्य समाप्ति के पश्चात नियमानुसार व्यय बाउचर सत्यापित करते हुए लाभान्वित किये गये व्यक्यिों की सूची इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–106/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 30 मार्च, 2020

मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरकाशी।

आज दिनांक 30.03.2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोके जानें सम्बन्धी किये जा रहे कार्यो तथा गृह संगरोधन में रखे गये लोगों हेतु निर्देशित नियमों के अनुपालन के संम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया।

इसके दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम नैताला में श्री विजय रजवार के घर का निरीक्षण किया गया श्री विजय रजवार के साथ सुनीता एवं श्री आदित्य रजवार क्रमशः दिल्ली, चण्डीगढ और करनाल से ग्राम में 17.03.2020 को पहुचे है। उपरोक्त व्यक्तियों का चिकित्सा परीक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में किया गया है तथा सभी को गृह संगरोधन हेतु निर्देशित किया है।

आज निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा गृह संगरोधन के निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है। ग्राम के अन्य व्यक्तियों तथा परिवार/कुटुम्ब के अन्य सदस्यों से सम्पर्क किया जा रहा है, जोकि वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल स्वीकार्य नही है। जिससे जहां एक ओर कोरोना वायरस के संक्रमण से अन्य लोगों का जीवन खतरे में पड सकता है वहीं दूसरी ओर वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयास निष्फल हो सकते है। आर्थिक रूप से निर्बल परिवार के पास गृह संगरोधन हेतु आवश्यक/पर्याप्त कक्षों का आभाव निरीक्षण में दृष्टिगत हुआ। परिवार द्वारा यह बताया गया कि चिकित्सा निरीक्षण दल द्वारा स्वास्थ्य जांच में सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु यह स्वीकार्य नहीं है । परिवार के पास गृह संगरोधन हेतु पर्याप्त सुविधा न होने के विषय में दल द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित न किया जाना न केवल खेदजनक है वरन् चिकित्सा परीक्षण दल में कर्त्तव्यबोध व संक्रमण के लिये गम्भीर न होने का पुष्ट प्रमाण है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्पूर्ण परिवार(निवास करवाने वाले व आगन्तुकों) को गहन चिकित्सीय परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें तथा उत्तरदायी चिकित्सा परीक्षण दल के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की अवगत करवाएं।

अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

Details on relief measures provided-

In the context of CoVID-19 lockdown, the following information may be provided urgently:

S.No.	Items	Quantity
01	Number of Relief Camps set-up in the district • *Shelters have been earmarked in the district.* • *On the first day of lock-down during screening 276 people were accommodated in the above earmarked shelters however, currently no one has expressed interest to stay here.* • *Instructions have been issued to landlords for providing relief/ relaxation in the monthly rent charged till further orders.*	(07) 1-Food Godown , Badkot 2- Forest Guest House, kotbangla, UKI 3- BDO office & Chauhan Bhojanalay , Chiniyalisor 4- GMVN, UKI 5- HQ, UKI 6- Birla Dharamshala. UKI 7- Durga mandir marg, Purola
02	Number of persons provided Shelter/ Food	2346 (1575x 10 kg Ration Packet; 771 Cooked food packet/ plates)

Photographs of the Relief Camps (for shelter or food) set up may be given in the following format:

District	Type of relief Camp (write 1 for Food and shelter; write 2 for only Food	Photograph
UKI	02 Chauhan Bhojanalaya and tea stall, Chiniyalisor	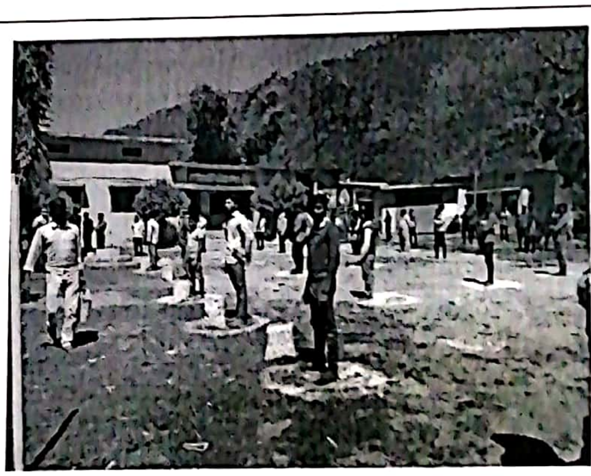

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><td>UKI</td><td></td><td> </td></tr>
<tr><td>UKI</td><td rowspan="2">02
(District Headquarter)</td><td> </td></tr>
<tr><td>UKI</td><td>
</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

UKI	02 Birla Dharamshala, UKi	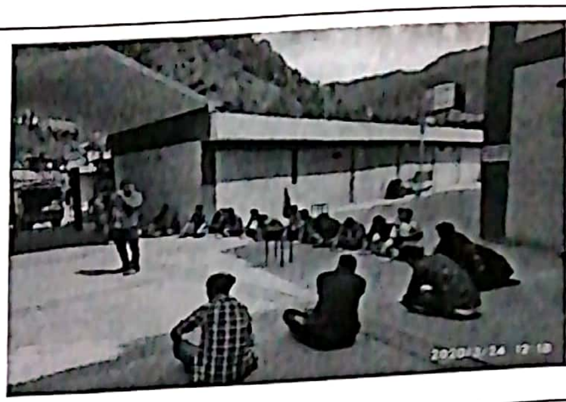
UKI	02 Durga mandir Marg, Purola	
UKI	02 Forest Guest House, Kotbangla	
UKI	02 (Purola)	

Scanned with CamScanner

प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी

आज दिनांक 30.03.2020 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा कोरोना संक्रमण(कोविड–19) के दृष्टिगत किये गये सम्पूर्ण लॉक डाउन के दौरान जनसामान्य के भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी है के सम्बन्ध में आंख्या आज ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

कोरोना संक्रमण(कोविड–19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में दिनांक 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया। लॉक डाउन के पश्चात जनपद में निवासरत निश्ररित/निसहाय तथा अन्य प्रदेशों से आये हुये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा निर्धन व्यक्तियों को भोजन तथा आवासीय व्यवस्था जिला मुख्यालय तथा तहसील/ब्लॉक मुख्यालयों पर की गयी। इस क्रम में जनपद में 07 स्थानों पर राहत केन्द्र चलाये गये। 1575 लोगों को खाद्यन्न के 10 किलो के पैकेट वितरित किये गये। 771 लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चाही गयी सूचना को शासन से प्राप्त प्रारूप पर वांछित सूचना मय फोटोग्राफ के तैयार कर महोदय के अवलोकनार्थ पत्रावली दॉये ओर सलग्न है कृपया अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

DMO
30/03/2020

30/3/2020

Scanned with CamScanner

कोरोना/देखते ही अनुपालन

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–299/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 30 मार्च, 2020

श्री राजकुमार,
कार्यालय सहायक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय,
उत्तरकाशी।

:: नोटिस ::

इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या– आदेश संख्या–190 दिनांक 22 मार्च, 2020 के के द्वारा आपकी तैनाती कोरोना नियंत्रण/तैयारियों हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में की गयी है । किन्तु आपके द्वारा अतिथि तक केन्द्र में अपना योगदान नहीं दिया गया है और ना ही किसी प्रकार की सूचना से अवगत कराया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) **को** अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिय लॉक डाउन किया गया है। दिनांक 30.03.2020 को जिला चिकित्सालय में पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती के सम्बन्ध में आपको दूरभाष पर कन्ट्रोल रूम तथा प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय/वाररूम प्रभारी श्री जय प्रकाश पंवार आदि द्वारा सम्पर्क कर कन्ट्रोल रूम में उपस्थित होने तथा आइसोलेशन वार्ड में पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती किये जाने हेतु सूचित किया गया। बाबजूत निर्देश के आपके द्वारा तुरन्त अपना दूरभाष नम्बर स्विच ऑफ किया गया और ना ही कन्ट्रोल रूम में उपस्थित हुये। आपका यह कृत्य आपदा प्रबन्धन के कार्यों में लापरवाही बरतने तथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन का उल्लधंन करना है जो अत्यन्त खेदजनक है तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत दण्डनीय है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टिकरण तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलबध कराते हुये जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में अग्रिम आदेशों तक योगदान देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा युवा कल्याण विभाग को पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशा का पालन/पत्राचार/पी0आर0डी0 जवान की तैनाती सम्बन्धी कार्य जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात रहकर ही तैयार करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। क्यो ना आपके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्राविधानों तथा महामारी अधिनियम–1897 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत दण्डनीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

- आदेश -

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी को फैलने से रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में पूरे देश में दिनांक 24-03-2020 से आगामी 21 दिनों तक लॉक डाउन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार अधिकारियों को एतद्द्वारा COVID-19 मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	जोन जहां मजिस्ट्रेट नामित किये गये
1	श्री भुपेश गुसांई	सहायक अभियन्ता	प्रा0ख0लो0नि0वि0भटवाड़ी	जोन-1
2	श्री अरविन्द सिंह परिचमो	सहायक अभियन्ता	सिंचाई खण्ड,उ0का0	जोन-2
3	श्री राजेश नौटियाल	सहायक अभियन्ता	सिंचाई खण्ड,उ0का0	जोन-3
4	श्री तकदीर सिंह	कनिष्ट अभियन्ता	प्रा0ख0लो0नि0वि0भटवाड़ी	जोन-4
5	श्री हिमांशु नौटियाल	सहायक अभियन्ता	प्रा0ख0लो0नि0वि0उ0का0	जोन-5
6	श्री यशवन्त रावत	सहायक अभियन्ता	जलसंस्थान, उत्तरकाशी	जोन-6
7	श्री हरीश कुमार	सहायक अभियन्ता	जलनिगम, उत्तरकाशी	जोन-7
8	श्री आशीष भट्ट	सहायक अभियन्ता	पी0एम0जी0एस0वाई.उ0का	जोन-8
9	श्री विकास कुमार	सहायक अभियन्ता	प्रा0ख0लो0नि0वि0भटवाड़ी	जोन-9
10	श्री विकास नौटियाल	कनिष्ट अभियन्ता	प्रा0ख0लो0नि0वि0भटवाड़ी	जोन-10

1- उपरोक्तानुसार नियुक्त COVID-19 मजिस्ट्रेट जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र से ग्रामों की सूची प्राप्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित ग्रामों में आज ही जाकर उन लोगों को चैक करेंगे जो Home Quarantine किये गये है। यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा Home Quarantine का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध तत्काल सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए उसे Institional Quarantine में लायेंगे।

2- उक्त मजिस्ट्रेट सभी सम्बन्धित गाँवों में ज्ञात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति बिना मेंडिकल स्कीनिंग के किसी तरीके से अन्य जनपद/राज्य/देश के बाहर से अपने गाँव में पहुँचा है तथा उसके द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई व तथ्य छुपाये गये है तो ऐसी स्थिति में उसका तत्काल मेडिकल टीम से परीक्षण करवायेंगे, साथ उस व्यक्ति का Contact व Travel History एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर कण्ट्रोल रूम को उपलब्ध करवायेंगे।

3- उक्त मजिस्ट्रेट ग्रामों में Home Quarantine की गुणवत्ता, इनके नियमों का

......2

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

पालन सही ढ़ंग से किया जा रहा है या नही का परीक्षण कर इसकी सही गुणवत्ता एवं इसके नियमों एवं क्या करें क्या न करें के पालन की जानकारी देना सुनिश्चित करायेंगे। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंस के बारे में भी आमजन को जानकारी देंगे।

4- सभी मजिस्ट्रेट उपरोक्त कार्यो में प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण एहतियात बरतेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी दैनिक निरीक्षण आख्या भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई तो तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

संख्या- 185 /एस0पी0ए0-2020 दिनांक मार्च 30 ,2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।

2- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

3- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

4- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

5- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

6- उपरोक्तानुसार नियुक्ति समस्त COVID-19 मजिस्ट्रेटों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या– 298/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 30 मार्च, 2020

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष, युवक मंगल दल एवं
महिला मंगल दल, जनपद उत्तरकाशी।

विषयः– **होम संगरोधन** (Home QUARANTINE) **के सम्बन्ध में।**

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौट रहें है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home Quarantine) में रखत हुये निगरानी की जानी है।

अतः आप जनपद के समस्त ग्रामों में आपके क्षेत्र में हाल ही में बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों को 14 दिनों तक Home Quarantine में रहने के सम्बन्ध में निम्न दिशानिर्देशो का पालन किये जाने हेतु जागरूक करते हुये उन पर निगरानी रखें।

1. होम संगरोधन के लिये एक पृथक हवादार कमरा हो, जिसमें टॉयलेट भी हो।
2. अगर उस कमरे में अन्य परिजन हो, तो वह परिवार के अन्य सदस्यों से एक मीटर की दूरी रहें
3. ऐसे व्यक्ति घर के अन्य बुजुर्गों, गर्भवतियों और बच्चों से दूर रहें।
4. ऐसे व्यक्ति उक्त अवधि में किसी भी समारोह, शादी, पार्टी में सम्मिलित ना हो।
5. व्यक्ति साबुन से हाथ धोएं और एल्कोहल हैंड सैनेटाईजर का इस्तेमाल करें।
6. व्यक्ति घर में पानी, बर्तन, तौलिए और अन्य किसी सामग्री को न छुऐं।
7. वह व्यक्ति सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। हर 6–8 घंटे में मास्क बदलें। मास्क का निस्तारण कूड़ादान में सही से करें।
8. संलग्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
9. यदि किसी व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द, खांसी, छीक आना, सांस लेने में समस्या हो तो तत्काल कन्ट्रोल रूम को सूचित करें।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा Home Quarantine का पालन नहीं किया जाता है तो उक्त की सूचना कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर– 01374–222722, 222641 एवं 222126 पर आवश्यक रूप से सूचित करें। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को अवगत कराये कि यदि उनके द्वारा 14 दिन तक Home Quarantine के उपरोक्त Home Quarantine दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत दण्दात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद अन्तर्गत गठित समस्त युवक एवं महिला मंगल दलों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित कर दैनिक रूप से ग्राम वार आख्या कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–290/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 30 मार्च, 2020

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
   उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला,
   उत्तरकाशी।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
   अपर यमुना वन प्रभाग,
   बडकोट।

3. प्रभागीय वनाधिकारी,
   टैंस वन प्रभाग, पुरोला।

4. उप निदेशक,
   गोविन्द पशु विहार, पुरोला

विषयः– **वन कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–एसटी–विविध–10/2020 दिनांक 09.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिए लॉक डाउन किया गया है। उक्त के दृष्टिगत जनपद के बार्डर चिन्यालीसौड, डामटा, धौन्तरी एवं मोरी में आवश्यकता होने पर 20–20 वन आरक्षी तथा 04–04 वन दरोगा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी से समन्वय स्थापित कर आवश्यकता की स्थिति में कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं संदिग्धों की निगरानी हेतु अपने नियत्रंणाधीन वन दरोगा एवं आरक्षियों की तैनाती करने का कष्ट करें।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौडी ।

दिनांक 30 मार्च 2020 ।

संख्याः- 293/ तेरह-कोविड-19/2020

विषयः- **समस्त राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID 19) की रोकथाम हेतु किये गये लॉक डॉउन के कारण फंसे नागरिकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जैसा कि आप विदित ही हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना वायरस (COVID 19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी को फैलने से रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में पूरे देश में दिनांक 24-03-2020 से 21 दिनों तक लॉक डॉउन किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी के निम्नांकित नागरिक जो कि आपके जनपद के थलीसैण ब्लाक के ग्राम पैठाणी से बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण कर रहे है को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0सं0	व्यक्ति का नाम	ग्राम का नाम	मोबाईल नं0
1.	सिंगराज पुत्र श्री रमेश चन्द्र	ग्राम दोणी	9456795916
2.	सचिन सिंह पुत्र श्री रचपाल सिंह	ग्राम सट्टा	9410382809
3.	मक्खन सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह	ग्राम खन्साणी	9410749208
4.	कुलवीर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह	ग्राम उजेली	7579121244
5.	मोहित रावत पुत्र श्री जयेन्द्र सिंह रावत	ग्राम नागजाला गुन्दियाटगाँव	8057093694
6.	रोहित पंवार पुत्र श्री दरव्यान सिंह	ग्राम नागजाला गुन्दियाटगाँव	7668473274
7.	रोजी सिंह रावत पुत्र श्री जयेन्द्र सिंह	ग्राम सुनकुण्डी जखोल	9456118230

अतः जनपद उत्तरकाशी के उपरोक्त नागरिकों को आवश्यक सहयोग प्रदान कराने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(तीर्थ पाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।
5|4|2020

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–295/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 30 मार्च, 2020

1. प्रभारी
   एन0एस0एस0, जनपद उत्तरकाशी।
2. प्रभारी,
   एन0सी0सी0, जनपद उत्तरकाशी।

विषयः– **कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 के छात्र/छात्राओं की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

उपुर्यक्त विषयक जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिय लॉक डाउन किया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत जनपद में कोरोना वायरस से सम्बन्धित नियंत्रण एवं आवश्यक तैयारियों के दृष्टिगत एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 के छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी से समन्वय कर कोरोना नियंत्रिण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कर सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः–1 मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–2 मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

DEOC/nagi-2020

Scanned with CamScanner

::आदेश::

आज दिनांक 29 मार्च 2020 को वी0सी0 में अवगत कराया है कि रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया से निर्देश है कि दिनांक 30 एवं 31 मार्च को सभी बैंक शाखाओं से नागरिक लेन देने के अलावा अन्य विभागीय वित्तीय लेने–देने के कार्य 10 बजे के पश्चात भी सम्पादित किये जायेगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत विभागीय अन्तरण, लेने–देने व बैंकिग कार्यो को निर्बाध रूप से सुचारू रखे जाने हेतु आर0बी0आई0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में विद्यमान बैंको को पूर्व आदेश संख्या–178/एस0पी0ए0–2020 दिनांक 26 मार्च 2020 में शिथिलता प्रदान करते हुये पूर्ण अवधि हेतु संचालित किये जाने के निर्देश दिये जाते है। किन्तु यह शिथिलता बैंकिग अथवा विभागीय कार्यों तक सीमित होगी, नागरिक लेनदेन हेतु पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी होगा।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 285 /तेरह–आ0प्र0/2020 दिनांक–29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– लीड बैक अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
2– समस्त बैंक शाखा प्रबन्धक, जनपद उत्तरकाशी।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4– समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
5– जिला सूचनाधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

आज दिनांक 29 मार्च 2020 को वी0सी0 में अवगत कराया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से निर्देश है कि दिनांक 30 एवं 31 मार्च को सभी बैंक शाखाओं से नागरिक लेन देने के अलावा अन्य विभागीय वित्तीय लेने–देने के कार्य 10 बजे के पश्चात भी सम्पादित किये जायेगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत विभागीय अन्तरण, लेने–देने व बैंकिग कार्यो को निर्बाध रूप से सुचारू रखे जाने हेतु आर0बी0आई0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में विद्यमान बैंको को पूर्व आदेश संख्या–178/एस0पी0ए0–2020 दिनांक 26 मार्च 2020 में शिथिलता प्रदान करते हुये पूर्ण अवधि हेतु संचालित किये जाने के निर्देश दिये जाते है। किन्तु यह शिथिलता बैंकिग अथवा विभागीय कार्यो तक सीमित होगी, नागरिक लेनदेन हेतु पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी होगा।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 285 /तेरह–आ0प्र0/2020 दिनांक–29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– लीड बैक अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
2– समस्त बैंक शाखा प्रबन्धक, जनपद उत्तरकाशी।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4– समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
5– जिला सूचनाधिकारी, उत्तराकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

प्रेषक ,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

महा निदेशक,
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

दिनांक29 मार्च, 2020

पत्र संख्या–276/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

विषयः– **जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी को कोरोना चिकित्सालय नामित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–आई0डी0एस0पी0/(COVID-19)/2019–20 दिनांक 28.03.2020 के द्वारा कोरोना (CoVID-19) वायरस के रोकथाम हेतु जिला चिकित्सालय , उत्तरकाशी को कोरोना चिकित्सालय स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित भी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिय लॉक डाउन किया गया है तथा पर्याप्त रोकथाम के निर्देश दिये गये है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में कोरोना (covid- 19) की रोकथाम हेतु 100 बेडेड आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में तैयार किये गये सुविधाओं के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी को कोरोना वायरस (covid- 19) चिकित्सालय के रूप में स्थापित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त महोदय गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं आवश्यक तैयारियों हेतु जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में वाररूम की स्थापना की गयी है। उक्त वाररूम में क्यू0आर0टी0 के साथ सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं आवश्यक तैयारियों हेतु श्री सचिन गौतम, प्रशासनिक अधिकारी, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी की तैनाती अग्रिम आदेश तक की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

रपत्र संख्या–279/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपरोक्त कर्मचारी।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
3. प्रभारी वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या283/तेरह—आ0प्र0/2020 दिनांक— 29 मार्च, 2020

1— कमान अधिकारी,
1442, बी0सी0सी0,सीमा सड़क संगठन,
तेखला, उत्तरकाशी।

2— कमान अधिकारी,
72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

3— अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट,उत्तरकाशी।

4— परियोजना प्रबन्धक,
एन0एच0आई0डी0सी0एल0, बडेथी, उत्तरकाशी।

विषय— ऑल वेदर रोड़ कार्य में कार्यरत मजदूरों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि 25 मार्च 2020 से आगामी 21 दिन के लिए सम्पूर्ण देश में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लॉक डाउन किया गया है। जैसा की आपको विधित है कि लॉक डाउन की अवधि में प्रत्येक दशा में ऑल वेदर रोड़ के कार्य को द्रुत गति से गतिमान रखे जाने के निर्देश है, ताकि COVID-19 के समय आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित रखा जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यरत श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उन्हें कार्य हेतु प्रेरित करने, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। यदि किसी नियोक्ता अथवा अनुज्ञापी द्वारा श्रमिकों को निकाले जाने का निर्णय लिया जाता है अथवा श्रमिकों पर दबाव बनाया जाता है तो सम्बन्धित उत्तरदायी नियोक्ता अथवा अनुज्ञाधारी के विरूद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्र्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं आवश्यक तैयारियों सम्बन्धी कार्य जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में की जा रही है। उक्त केन्द्र में सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं आवश्यक तैयारियों सम्बन्धी कार्यों हेतु श्री मनोज नौटियाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी की [illegible] तैनाती अग्रिम आदेश तक की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–282 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपरोक्त कर्मचारी।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश संख्या–226 दिनांक 25 मार्च, 2020 के द्वारा श्री कुलदीप गुसांई क0सहा0,मुख्य शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उत्तरकाशी की तैनाती आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी (नियंत्रण कक्ष) में कोरोना वायरस से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान हेतु की गयी है। उक्त कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

रपत्र संख्या–231/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपरोक्त कर्मचारी।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Received
29/03/20

Scanned with CamScanner

::आदेश::

मैं जिलाधिकारी उत्तरकाशी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(A) दिनांक 24 मार्च 2020 के क्रम में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में जनपद में स्थित समस्त फुटकर एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित करता हूँ कि वे निम्न निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें–

1– आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची अनिवार्य रूप से अपने प्रतिष्ठान प्रर्दिशत करें। पैकेज आईटम पर आवश्यक रूप से मूल्य अंकित करें तथा खुली हुयी वस्तुओं के मूल्य का अंकन मूल्य सूची पर अनिवार्य रूप से अंकित करें।

2– अपने प्रतिष्ठान पर आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध स्टॉक की सूचना अनिवार्य रूप से चस्पा करेगें।

3– आवश्यक वस्तुओं का एम0आर0पी0 पर ही वितरण करेंगे किसी भी दशा में उससे अधिक मूल्य नही लेगें।

4– आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

5– अनावश्यक रूप से किसी भी आवश्यक वस्तु का भण्डारण नही करेगें तथा उपलब्धता होने पर ग्राहक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। यदि किसी भी थोक या फुटकर विक्रेता द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नही किया जाता है तो भारत सरकार के गृह मत्रालय के आदेश संख्या संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(A) दिनांक 24. मार्च 2020 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 की अधीन कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 280 /तेरह–आ0प्र0/2020 दिनांक– 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तरकाशी।

2– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

3– जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं आवश्यक तैयारियों सम्बन्धी कार्य जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में की जा रही है। उक्त केन्द्र में सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं आवश्यक तैयारियों सम्बन्धी कार्यों हेतु श्री मनोज नौटियाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी की तैनाती अग्रिम आदेश तक की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–282 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020 दिनांक 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपरोक्त कर्मचारी।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं आवश्यक तैयारियों हेतु जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में वाररूम की स्थापना की गयी है। उक्त वाररूम में क्यू0आर0टी0 के साथ सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं आवश्यक तैयारियों हेतु श्री सचिन गौतम, प्रशासनिक अधिकारी, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी की तैनाती अग्रिम आदेश तक की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–279/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 29 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपरोक्त कर्मचारी।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
3. प्रभारी वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner